छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **दशम् सत्र**

सोमवार, दिनांक 01 मार्च, 2021

(फाल्गुन 10, शक सम्वत् 1942)

[अंक 06]

Web Copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 01 मार्च, 2021

(फाल्गुन-10, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

<u>जन्मदिवस की बधाई</u>

<u>श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री</u>

अध्यक्ष महोदय :- माननीय श्री जयसिंह अग्रवाल, मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन का आज 01 मार्च को जन्मदिवस है । इस अवसर पर मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं । (मेजों की थपथपाहट)

श्री मोहित राम :- माननीय राजस्व मंत्री, बड़े भैया को मेरी ओर से, कोरबा जिले एवं पाली तानाखार की ओर से भी बहुत-बहुत बधाई ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्री माननीय जयसिंह अग्रवाल जी को बलरामपुर जिले की ओर से जन्मदिवस की बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं ।

श्री शैलेष पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री जयसिंह भैया को बिलासपुर एवं पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से भी जन्मदिवस की ढ़ेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे रायपुर की ओर से श्री जयसिंह अग्रवाल जी को जन्मदिवस की बधाई ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- धमतरी जिला और पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से माननीय मंत्री जी को जन्मदिवस की बहुत-बहुत बधाई हो ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे छोटा जरूर हूं लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि आप कहीं मॉडलिंग करने जा रहे हैं या मॉडलिंग करके आ रहे हैं । आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद ।

श्री शैलेष पाण्डे :- आज आप सुंदर लग रहे हैं यह कहने का क्या मतलब है ? यह गलत बता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आप रोज सुंदर लगते हैं । (हंसी)

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अरूण वोरा :- पाण्डे जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी आज कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहे हैं । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुंदर लगना स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है यह बताईये । (हंसी)

श्री अरूण वोरा :- अध्यक्ष जी समझते हैं, मैं उसको परिभाषित नहीं कर सकता । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुंदर लगना स्त्रीलिंग है ।

अध्यक्ष महोदय :- जी, मैं जानता हूं लेकिन कुछ जवाब नहीं दे सकता । (हंसी)

श्री अरूण वोरा :- चंद्राकर जी, भावनाएं अच्छी होनी चाहिए । माननीय अध्यक्ष महोदय के प्रति मेरी पवित्र भावनाएं हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- क्या है आप स्त्रीलिंग के बारे में ज्यादा जानते हैं ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- चंद्राकर जी, हम लोग भी जानते हैं कि आप भी किसी बात में कम नहीं हैं । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- श्री संतराम नेताम ।

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर</u>

<u>आदिवासी विकास विभाग कांकेर द्वारा आश्रम शालाओं में कम्प्यूटर, प्रिंटर, फोटो कॉपी मशीन की खरीदी</u>

1. (*क्र. 971) श्री सन्तराम नेताम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिवासी विकास विभाग कांकेर द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में आश्रम शालाओं में कम्प्यूटर, प्रिंटर, फोटो कॉपी मशीन, प्रोजेक्टर खरीदने हेतु कब-कब निविदा आमंत्रित की गई? उक्त निविदा के आधार पर किन-किन एजेंसियों को कितने लागत के उपकरण सप्लाई हेतु कार्य आदेश प्रदान किया गया है? उक्त सामग्री कब प्राप्त हुई? सामग्री का भौतिक सत्यापन किनके द्वारा किया गया? यदि नहीं, तो आपूर्तिकर्ता फर्म पर क्या कार्यवाही की गई? (ख) प्रश्नांश "क" के अनुसार क्या उक्त उपकरण की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं को भुगतान किया गया है अथवा किया जाना शेष है, तो कितना?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) वित्तीय वर्ष 2020-21 में कम्प्यूटर, प्रिंटर, फोटोकापी मशीन, प्रोजेक्टर क्रय हेतु निविदा आमंत्रित नहीं की गई है, अपितु छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियमों के तहत् जेम पोर्टल के माध्यम से निम्नांकित तिथियों पर ऑन लाईन निविदा के अनुसार कार्यवाही की गई है :—

क्र.	सामग्री का नाम	ऑन लाईन निविदा की तिथि
1.	कम्प्यूटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर	23-03-2020

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

2.	कम्प्यूटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर	18-05-2020
3.	कम्प्यूटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर	18-05-2020
4.	कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर	21-05-2020
5.	कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर	14-06-2020

जबकि फोटोकॉपी मशीन हेतु ऑन लाईन निविदा की कार्यवाही भी नहीं की गई है.उपरोक्तानुसार ऑन लाईन निविदा के आधार पर जेम पोर्टल में प्राप्त न्यूनतम दर पर निम्नानुसार एजेंसियों को उपकरण सप्लाई हेतु कार्य आदेश दिया गया है :–

क्र. (1)	ईकाई का नाम (2)	कुल लागत (3)	सामग्री प्राप्ति दिनांक (4)
01	मेसर्स दिशा कम्प्यूटर एण्ड प्रिंटर कुरूद जिला धमतरी	17,13,759.00	18-06-2020, 06-07-2020
02.	मेसर्स श्री बालाजी सेल्स रायपुर	14,23,090.00	04-07-2020
03.	मेसर्स नवलखा कम्प्यूटर रायपुर	3,83,420.00	04-07-2020
04.	मेसर्स आई.टी. सोल्यूशन रायपुर	11,60,120.00	01-07-2020
05.	टीओट सिस्टम प्रा.लिमि., भिलाई	1,48,000.00	01-07-2020
	योग	48,28,389.00	
06.	मेसर्स यूनिक सेल्स एण्ड सर्विस अंबिकापुर सरगुजा	43,65,000.00	23-01-2021
	योग	43,65,000.00	
	महायोग	91,93,389.00	

सरल क्रमांक 01 से 05 तक कुल लागत राशि रुपये 48,28,389.00 की कम्प्यूटर सामग्री प्राप्त हुई है, जिसका जिला स्तरीय क्रय समिति के द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है. भौतिक सत्यापन में कम्प्यूटर सामग्री मापदंड के अनुसार नहीं पाये जाने के कारण उपरोक्त तालिका में सरल क्रमांक 01 से 05 पर दर्शित आपूर्तिकर्त्ता फर्मों का कार्य आदेश निरस्त किया गया है. संबंधित फर्मो को ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. सरल क्रमांक 06 पर दर्शित इकाई से कुल रुपये 43,65,000.00 का कम्प्यूटर सामग्री प्राप्त हुई है. जिसके भौतिक सत्यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. (ख) सामग्री आपूर्तिकर्त्ता ईकाईयों को सामग्री की राशि का भुगतान नही किया गया है. कुल रुपये 43,65,000.00 भौतिक सत्यापन के आधार पर भुगतान किया जाना शेष है.

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री सन्तराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कांकेर के एस.ई. के विरूद्ध में दैनिक पत्रिका समाचार में शिकायत प्रकाशित हुई थी तो उसकी जांच श्री बी.एस. सिदार डिप्टी कमिश्नर के द्वारा की गई । दिनांक 21.09.2020 को कमिश्नर, सचिव महोदय को पत्र लिखते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है इसलिए कार्यवाही की जाये और एस.ई. के द्वारा घोर लापरवाही बरती गई है उसके बाद 3 महीने के बाद फिर दिनांक 03.12.2020 को फिर से कमिश्नर साहब पत्र लिखते हैं कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई अनियमितता नहीं हुई है तो मेरे कहने का यह मतलब है कि दोनों में से कौन सा पत्र सही है दिनांक 21.09.2020 वाला या दिनांक 03.12.2020 वाला पत्र सही है ? अगर यह पहली वाली रिपोर्ट गलत है तो क्या डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कांकेर जिले के आश्रम शालाओं में कंप्यूटर खरीदने के लिये टेंडर हुआ था । जब टेंडर हुआ तो जब वहां पर प्रदायकर्ताओं के द्वारा कंप्यूटर पहुंचा तो वह मानक दर में नहीं था, उसका जो स्पेसीफिकेशन था, उसमें नहीं था, समिति ने उसको निरस्त कर दिया । चूंकि वह निरस्त हो गया, उसमें कोई पेमेंट नहीं हुआ । समाचार-पत्र में क्या आता है, क्या नहीं आता है । इसमें आपका यह प्रश्न है कि इसमें भौतिक सत्यापन हुआ कि नहीं हुआ तो उसका भौतिक सत्यापन हुआ, उसमें जो कंप्यूटर की मानक दर थी वह कम पायी गई और उसमें कोई भुगतान नहीं हुआ है ।

श्री सन्तराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समाचार-पत्र को यदि मान लें तो इसे आधार तो कमिश्नर ने भी बनाया है और उसी को कलेक्टर ने भी आधार बनाया है तो कौन सी रिपोर्ट सही है ? मेरा यह कहना है कि यह जो जांच हुई है तो कमिश्नर ने प्रमाणित किया और कमिश्नर मतलब प्रशासनिक अधिकारी है । यदि उन्होंने समाचार-पत्रों की भी जांच करायी है, कलेक्टर ने भी करायी है तो आखिर जांच का आधार क्या है, चूंकि कमिश्नर जैसे अधिकारियों ने इसको गंभीरता से लिया है तो आप इसको कैसे नजरअंदाज करेंगे । उसी शिकायत पर जांच हुई है, कमिश्नर ने जांच करके भेजा फिर कलेक्टर ने भेजा तो कौन सी रिपोर्ट सही है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप दिनांक 21.09.2020 या दिनांक 03.12.2020 वाले को सही मान रहे हैं ? क्या गड़बड़ी हुई है उसको मैं विषय नहीं मान रहा हूं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय खुद कह रहे हैं कि दो प्रकार की जांच हुई, एक जांच में सही पाया गया और एक जांच में उसको गलत पाया गया । प्रकरण अभी मेरे पास नहीं आया है, मैं उसको दिखवा लूंगा । समाचार पत्र में यह आया है कि भुगतान हो गया है जबकि भुगतान हुआ ही नहीं है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मैं भुगतान वाली बात नहीं कह रहा हूं। यह गंभीर विषय है कि कमिश्नर जैसा अधिकारी 21.09.2020 को जांच रिपोर्ट भेजता है और 3 महीने के बाद 03.12.2020 तक कोई कार्रवाई नहीं होती । मैंने देखा है जो ब्लॉक स्तरीय छोटे अधिकारी होते हैं उसमें लिखते 3 दिवस, 7 दिवस के अंदर में कार्रवाई होना चाहिए । यहां मंत्रालय में सचिव के पास 3 महीने तक क्यों लंबित था, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई ? अध्यक्ष महोदय, इस कागज़ में खुशबू आ रही और इस कागज़ में गड़बड़ी नज़र आ रही है । मुझे यह बता दीजिए कि आप कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- कागज़ में खुशबू ।

श्री संतराम नेताम :- यह कागज़ जो बाद में आया है इसमें भ्रष्टाचार की खुशबू आ रही है ।

अध्यक्ष महोदय :- भ्रष्टाचार की बू आएगी, खुशबू कहां से आएगी ?

श्री संतराम नेताम :- थोड़ी खुशबू आ रही है इसलिए मैं पूछना चाह रहा था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पहला पत्र करप्शन के लिए लिखा कमिश्नर महोदय ने। उस लेटर का क्या आधार था, लेटर के लिए उन्होंने क्या आधार बनाया और 3 महीने बाद जो वे पत्र लिखते हैं कि करप्शन नहीं हुआ । 3 महीने में ऐसी क्या बात हो गई जिसके कारण कमिश्नर को यह लिखना पड़ा की भ्रष्टाचार नहीं हुआ ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पत्र लिखा गया, उसका आधार समाचार पत्र है । समाचार पत्र में यह था कि उसका भुगतान कर दिया गया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्र विलोपित कर दीजिए। कमिश्नर ने यदि कोई पत्र लिख दिया तो वह शासकीय हो गया । फिर चाहे वह समाचार पत्र के आधार पर लिखे या किसी अन्य आधार पर लिखे । कमिश्नर का पत्र, किन कारणों से उन्होंने भ्रष्टाचार कहा और किन कारणों से उन्होंने की कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ । इस अवधि में क्या घटा ? किस आधार पर पत्र लिखा यह मैंने पूछा ही नहीं । मैंने तो कारण पूछा है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों जांच रिपोर्ट को मैं दिखवा लूंगा कि उसमें क्या है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- दिखवाने का कोई सवाल ही नहीं है । जब आप स्वीकार कर रहे हैं कि दिखवाने के लायक विषय है । तो आपको तो यह कहना चाहिए कि मैं उस पर कार्रवाई करूंगा ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि अभी मेरे पास आया नहीं है । मैं देख लूंगा उसके बाद ही तो कार्रवाई करूंगा ।

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि दोनों में जो विरोधाभास है, उसके लिए विधायक दल की कमेटी बनाकर जांच कराएंगे क्या ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी देख लेंगे ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जे.पी.सी. बोल रहे हैं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी आवश्यकता नहीं है ।(व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- यह बड़ा मामला है ।

श्री संतराम नेताम :- मैं तो आपको दोनों पत्र उपलब्ध करवा रहा हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या दिखवा लेंगे ? जब यह स्पष्ट है कि कमिश्नर लेवल का आदमी बात लिख रहा है । उसमें दिखवाने की क्या जरूरत है ? (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- सदन की कमेटी से जांच हो जाए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह कमिश्नर लेवल का अधिकारी है । बस्तर में उससे बड़ा अधिकारी नहीं है जो जांच कर सके । वह जांच शासन स्तर पर ही होगी या मंत्री स्तर पर होगी ।

श्री संतराम नेताम :- या तो एस.ई. को बचाया जा रहा है या कमिश्नर को बचाया जा रहा है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आसंदी से घोषणा हो जाए, अध्यक्ष महोदय ।

श्री संतराम नेताम :- विधायकों की कमेटी बनाकर जांच करा दीजिए ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- जो आपको पसंद हो उन विधायकों की कमेटी बना दीजिए । उसके लिए आप स्वतंत्र हैं ।

श्री नारायण चंदेल :- पसंद से बना दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, गृहमंत्री जी को सुनिये वे क्या कह रहे हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- गृहमंत्री जी को थोड़े ही जवाब देना है । शिक्षा मंत्री को जवाब देना है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- संबंधित मंत्री तो मौजूद है ।

अध्यक्ष महोदय :- वे आपके हस्तक्षेप का उत्तर दे रहे हैं ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं मैं परिस्थिति बता रहा हूं । जैसा कि अभी अजय चन्द्राकर जी ने कहा कि कमिश्नर लिखा तो वह पत्र सरकारी हो गया । किस आधार पर लिखा । अध्यक्ष महोदय, सामान्य तौर पर हम लोग समाचार पत्र में देखते हैं कि यहां ऐसा हो गया तो जानकारी लेने के लिए पत्र लिखते हैं । यहां तक कि टी.वी. में भी कोई न्यूज़ आता है तो हम लोग उसको देखते हैं और जानकारी लेते हैं । फिर जानकारी लेने के बाद जांच होती है और जांच के बाद कार्रवाई होती है । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- यदि कमिश्नर के पत्र का कोई औचित्य नहीं है तो उसको फाड़कर फेंक दीजिए (व्यवधान) ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जानकारी लेने के लिए शासन को पत्र नहीं लिखते हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री संतराम नेताम :- दूसरा पत्र भी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज, मैं नेता प्रतिपक्ष को सुन रहा हूं। आप बोलिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आ रहा है कि उस पत्र का कोई औचित्य नहीं है। हम टी.वी. भी देखकर लिख देते हैं। समाचार पत्र देखकर, उससे मतलब नहीं है कि आपने क्या देखकर लिखा?
आपके पत्र का महत्व है या नहीं है, यह मंत्री जी खुद इस बात को यहां पर..।

श्री ताम्रध्वज साहू :- महत्व है तभी तो जानकारी लेते हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- महत्व है तो उसकी जांच होनी चाहिए। बचाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? सत्ता पक्ष के सदस्य ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। (शेम-शेम की आवाज) उसमें पत्र लिखा गया और उसकी जांच के लिए विधायक की कमेटी से सदन की कमेटी से जांच करायी जाये। यह प्रश्न माननीय सत्ता पक्ष के सदस्य ने उठाया। हम उनका समर्थन करते हैं। ढाई साल हो गया एक भी प्रकरण ऐसा नहीं आया और मैंने लगातार उस दिन भी कहा था कि घोटाले की सरकार। हम विपक्ष के हैं तो ये बोलेंगे कि आरोप लगा रहे हैं। यह प्रमाणित हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को निर्देशित कीजिए कि समुचित जांच के लिए विधायक की कमेटी बनाये। सदन की कमेटी बनाये और कमेटी का अधिकार आपको देते हैं, आप जिसको बनाना चाहें आप बना लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जानकारी लेने के लिए कमिश्नर सचिव को शासन को पत्र लिखता है। जानकारी लेने के लिए नीचे अधीनस्थ को पत्र लिखता है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भुगतान ही नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार कैसे हो जायेगा? जो कम्प्यूटर उसमें आये थे, उसकी जांच हुई तो मानक नहीं पाये गये। जब भुगतान नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार कहां से हुआ?

श्री संतराम नेताम :- ये तो कागज है। आप अनुमति देंगे तो मैं पटल पर रख देता हूं। इसमें कमिश्नर ने लिखा है कि अनियमितताएं हुई हैं। लोक भ्रष्टाचार हुआ है। खुद कागज में लिखा है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- इमसें कोई भ्रष्टाचार ही हुआ है, इसलिए इसकी जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- यह कमिश्नर ने लिखकर भेजा है कि भ्रष्टाचार हुआ है और मैं इसकी कार्रवाई नहीं कर सकता। यह शासन स्तर का है। क्योंकि कमिश्नर प्रथम श्रेणी का अधिकारी है। इसकी जांच कराइए।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी यह बता दें कि जो कमिश्नर था, वह आई.ए.एस. था या प्रमोटी था। (हंसी)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री संतराम नेताम :- कमिश्नर ने इसमें लिखा है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप इसकी विस्तृत स्वयं जांच कर लें। आप उसकी विस्तृत जांच कर लीजिए। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- भ्रष्टाचार हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्वयं जांच करे, यह क्या है। इसीलिए हम कहते हैं कि यह संस्थागत भ्रष्टाचार है और शासन द्वारा संरक्षित भ्रष्टाचार है। (व्यवधान)

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से दोषी अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- वह क्या जांच करेंगे, वह तो किसानों की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- सदन की कमेटी से जांच करायी जाये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- सौरभ सिंह जी।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- कोई भ्रष्टाचार नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- सदन की कमेटी से जांच करायी जाये। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- यह प्रमाणित है। माननीय मंत्री जी को सदन की कमेटी से जांच कराने से इंकार नहीं करनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा और इसलिए आप उसमें घोषणा करिए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- नेता जी, इसमें मैं बोल रहा हूं कि इसमें भुगतान नहीं हुआ है। कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। जो दोनों पत्र हैं, जिसमें माननीय सदस्य का कहना है, मैं उसे दिखवा लूंगा। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, इसमें सदन की समिति से जांच की आवश्यकता है। सचिव स्तर के अधिकारी से जांच करायी जाये। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- यह कोई स्थापित तथ्य है कि भ्रष्टाचार होने की शिकायत नहीं है। प्रशासन के सचिव को दो बार चिट्ठी लिखी। यह स्थापित तथ्य है। या तो कमिश्नर के ऊपर कार्रवाई कीजिए। या तो कमिश्नर के ऊपर कार्रवाई कीजिए। उसने गलत चिट्ठी लिखी, उसके लिए कार्रवाई कीजिए। गलत चिठ्टी लिखी है करके। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- विधायक दल की कमेटी बनाकर जांच करायी जाये। (व्यवधान)

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कमिश्नर की जांच रिपोर्ट है। इसमें कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह संस्थागत भ्रष्टाचार है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- सचिव स्तर के अधिकारी से जांच करा लीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी का स्पष्ट जवाब आ रहा है कि इसमें कोई भुगतान ही नहीं हुआ है और उसमें कोई गड़बड़ हुआ होगा तो..। (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- भुगतान ही नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- कमिश्नर शासन की छवि खराब कर रहा है। कमिश्नर शासन की छवि खराब कर रहा है। कमिश्नर के ऊपर कार्रवाई कीजिए। उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- सचिव स्तर के अधिकारी से जांच करा दीजिए। (व्यवधान)

श्री ताम्रध्वज साहू :- मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, उसे तो पहले सुन लीजिए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कम्प्यूटर प्रदायकर्ता थे, जो कंपनियां थीं, उन्होंने अगर गलत किया तो उनके ऊपर कार्रवाई की गई। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- कमिश्नर, कमिश्नर, कमिश्नर। कमिश्नर ने क्यों किया? आप कमिश्नर के बारे में बोलिए।

श्री नारायण चंदेल :- गंभीर विषय है। (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, कमिश्नर ने लिखा। कमिश्नर ये यह चिट्ठी लिखी है कि भ्रष्टाचार प्रशासन स्तर पर हुई है। कमिश्नर ने खुद लिखा है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- ये कमिश्नर ने लिखा है। ये कमिश्नर [XX][1] हो गया है क्या ? (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- ये प्रश्न का जवाब नहीं देते। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, सचिव स्तर पर जांच कराइए। (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- कमिश्नर ने लिखा है। (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- कोई [XX] नहीं हुआ है। कौन [XX] हो गया है? (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, अब ये अजय जी ने जो बात कही, उसमें अधिकारी [XX] हो गया है । इससे ज्यादा आपत्तिजनक संसदीय प्रक्रिया में कहीं नहीं है । अधिकारी [XX] होता है क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- मेरी बात सुनिए न । मैं उसको विलोपित कर रहा हूं, आप बार-बार क्यों बोल रहे हैं ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरी बात बोले, सब बात बोले, विपक्ष को पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि किसी को कुछ भी बोल देंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा है, वह सदस्य साबित कर रहे हैं, मैं साबित नहीं कर रहा हूं । जो चिट्ठी लिख रहा है, चिट्ठी लिखने वाला वह कह रहा है, वह साबित कर रहा है कि उसमें अनियमितता है । यदि आप ऐसा कर रहे हैं.. (व्यवधान)

[1] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- पूर्व संसदीय कार्यमंत्री अधिकारियों को ऐसा बोलेंगे तो उचित है क्या ? पूर्व संसदीय कार्यमंत्री असंसदीय शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, उनको रोकिए (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- लखमा जी बोलेंगे, मैंने उनको अनुमति दी है । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से विपक्ष लोगों को डिप्रेश करने का काम कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय खाद्य मंत्री जी, आपका स्वास्थ्य ठीक है न ? अमितेश भैया का असर तो नहीं आया है ।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी बात है तो मनोरोग विशेषज्ञ से जांच कराने में क्या दिक्कत है ?

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं आया । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मैं उत्तर दिला रहा हूं न, इनकी बात सुन लीजिए ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, किसी को भी [XX][2] बोल देना ठीक नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने उसको विलोपित कर दिया है, आप काहे को बार-बार बात कर रहे हैं ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सदस्य बार-बार पत्र का उल्लेख कर रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, अनियमितताएं हुई है तो यह गंभीर बात है । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- अगर कोई छूट कर आया है, उसको मैं नहीं जानता, लेकिन किसी को भी [XX] बोल देना यह तो सामाजिक रूप से भी किसी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- इस बात को मेरे द्वारा विलोपित कर दिया गया है, आप उस पर बार-बार चर्चा क्यों कर रहे हैं ? माननीय लखमा जी ।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री स्वयं बोल रहे हैं कि भुगतान नहीं हुआ और कोई भी दबाव डालकर बोले कि जांच करायें तो यह कैसे होगा । यह नियम में थोड़ी है । अभी तक तो भुगतान ही नहीं हुआ है ।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कमिश्नर ने जांच करके रिपोर्ट दे दिया कि भ्रष्टाचार हुआ है, अनियमितताएं हुई हैं तो मैं इसको आधार मान रहा हूं। इसमें जांच कराएंगे क्या ? यह लिखा हुआ है । मेरे पास प्रतिवेदन है । (व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भुगतान करना भ्रष्टाचार को प्रमाणित करना नहीं है, यह तो वैसे ही प्रमाणित हो जाता है कि उनकी नीयत क्या है ? माननीय सदस्य उसी बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है ।

---

[2] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केवल प्रमाणित है । कमिश्नर के खिलाफ कार्यवाही करेंगे क्या ? मैं इतना ही बात कह रहा हूं । कमिश्नर के खिलाफ कार्यवाही करेंगे क्या ? (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- कमिश्नर के खिलाफ कार्यवाही करेंगे क्या ?

श्री धरम लाल कौशिक :- बोलिए मंत्री जी ।

अध्यक्ष महोदय :- संसदीय कार्यमंत्री जी, आप कुछ कह रहे थे ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि मैं दोनों पत्रों को दिखवा लेता हूं । अगर आवश्यकता होगी तो इसमें जांच कराएंगे ।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कमिश्नर ने 21.09 को लिखा है और 21.9 को प्रमाणित करके सचिव को भेजा है । अगर पटल पर रखने बोलेंगे तो मैं रख देता हूं या फिर कमिश्नर के खिलाफ कार्यवाही करें ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दोनों जांच की है, दोनों जांच पर जो कार्यवाही हुई है, मैं उसको दिखवा लूंगा और आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें जांच करवा लूंगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- ये सदन में दिखवाना शब्द क्या है ?

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में दिखवाना यह तो प्रमाणित है, उसको क्या दिखवाएंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में दिखवाना क्या है, यह तो प्रमाणित है । आप उसको पटल पर रख दें ।(व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसने गड़बड़ी की है, जिसके कारण यह जो सारा मामला आया, वह प्रमाणित है, उसको विधान सभा में क्या दिखवाएंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता जी, इसमें क्या प्रमाणित है, इसमें क्या प्रमाणित है, यह बताईए ? जब भुगतान हुआ ही नहीं है । इसमें क्या प्रमाणित करना है ? (व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, यह आपकी नीयत को बता रहा है । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, उसको पटल में रखने की अनुमति दे दीजिए । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो प्रमाणित है, कमिश्नर ने जांच करके सचिव को भेजा है, यह तो प्रमाणित है । मैं इसको पटल पर रख देता हूं । जांच करके प्रमाणित पाया गया है, यह 21 तारीख की रिपोर्ट है ।

श्री नारायण चंदेल :- वह तो जांच पहले कर लिया न । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- दोनों पत्रों को पटल पर रख दीजिए, फिर दिखवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मान लो कि अगर सदस्य गलत बोल रहे हैं तो मंत्री जी खड़े होकर बोल दें कि सदस्य गलत बोल रहे हैं या फिर बोलिए या जांच कराईए । सदस्य सारे प्रमाण लेकर बात कर रहे हैं तो आप जांच कराने में क्यों पीछे हट रहे हैं ?

श्री नारायण चंदेल :- अगर सदस्य गलत बोल रहे हैं तो फिर सदस्य की जांच कराईए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- हां ।

श्री अमितश शुक्ल :- शर्मा जी, जांच कराने के लिए तैयार हैं । आप बोल रहे हैं कि जांच कराई जाये तो जांच कराने के लिए तैयार हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपकी अध्यक्षता में जांच हो जाये, हम प्रस्ताव करते हैं कि अमितेश शुक्ल जी की अध्यक्षता में जांच हो जाये, यह हमारा प्रस्ताव है ।

श्री अमितेश शुक्ल :- शर्मा जी बोल रहे हैं कि जांच कराईए । वे जांच कराने के लिए तैयार हैं । और क्या मंत्री जी जान दे देंगे ।

श्री रविन्द्र चौबे :- शिवरतन जी, इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ? अध्यक्ष जी, दो-तीन बातें हैं । पहली बात तो यह है कि हम सबको शालीनता बरतनी चाहिए, मेरी बात समझ लीजिए । यहां हम लोग बात करते हैं, विधायिका में जो बातें करते हैं, कार्यपालिका काम करती है । आपने उनके खिलाफ एकदम से क्या-क्या बोल दिया? आपको और हमको मर्यादाओं में रहकर बात करनी चाहिए । उनका भी बहुत सम्मान है और हम लोगों को प्रशासन में उन्हीं से काम लेना है, नम्बर-एक । नम्बर-दूसरा, आपने कहा कि भ्रष्टाचार हो गया है । माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में कह रहे हैं कि अभी तो भुगतान हुआ ही नहीं है । तीसरी बात, माननीय संतराम जी नेताम का बार-बार प्रश्न है कि कमिश्नर ने उसमें irregularities पाई, अनियमितताएं हुई, पहली चिट्ठी में ऐसा उल्लेख है, यह उन्होंने कहा । दूसरी चिट्ठी में उन्होंने कहा कि पेपर में ही खुशबू आ गया, शायद इसलिए लिख दिया कि अब उसमें जरूरत नहीं है। यह सदन की बात हो रही है, मैं सदन के बाहर थोड़ी बोल रहा हूं । हमारे सबसे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय डॉ. प्रेमसाय सिंह जी ने कहा कि कमिश्नर के दोनों जांच, सदन में अगर कोई बात माननीय विधायक कह रहे हैं, उसको सरकार पूरी गंभीरता से लेती है । आपने कहा कि पहले कमिश्नर ने पूछताछ की और अमियमितता पाई और दूसरी बार उसको क्लीन चीट दे दिय, बात तो इतनी सही है ना। माननीय मंत्री

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जी उसको हर बार कह रहे हैं कि आपकी दोनों चिट्ठी उनकी जानकारी में सदन के माध्यम से आपने ले आया तो निश्चित रूप से उसको देखेंगे भी और कार्रवाई भी करेंगे। वे हर बार कमिट कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- वे उसकी जांच भी करा लें।

श्री रविन्द्र चौबे :- अब इसके आगे इसमें क्या प्रश्न बनता है ?

श्री अजय चंद्राकर :- आपने मेरा उल्लेख किया। यदि आपका कमिश्नर एक ही विषय पर दो पत्र लिखा है तो आप उसको क्या कहेंगे, एक। दूसरी बात, यदि कमिश्नर साहब ने गलत चिट्ठी लिखी, अब उस शब्द की जगह में साहब लगा दिया। तो दो चिट्ठी लिखी है, जब पेमेंट नहीं हुआ है तो उस पर क्या कार्रवाई होती है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- उसी बात को लेकर तो माननीय मंत्री जी हर लाईन में कमिट कर रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- पटल में रखवा दीजिए ना।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं, मंत्री जी सिर्फ यह बोल रहे हैं कि मैं दिखवा लूंगा। ये दिखवा लूंगा शब्द का आशय क्या है ? (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- आशय क्या है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं, ये दिखवा लूंगा, खाली दिखवा लूंगा में रहता है। आप बोलिये ना कि किस स्तर के अधिकारी से उसकी जांच करायेंगे। विधायक ने मांग की है। क्या सदन समिति बनाकर जांच करायेंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, सदन में अगर कोई बात आई। एक रूपये की भुगतान नहीं हुई है कहां से (व्यवधान) कहां से जांच करायेंगे। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- किस स्तर की अधिकारी से जांच करायेंगे ये तो बोल सकते हैं ना। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- कमिश्नर साहब के खिलाफ किस स्तर का आदमी जांच करेगा, यह बताईये। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- संतराम जी संत हैं। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- वह भी बता देता हूं ? (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- मैं भ्रष्टाचार में नहीं जा रहा हूं, ऐसा मिला नहीं मिला, उस पर आरोप लगाये हैं। जिम्मेदारी अधिकारी हैं, दो-दो पत्र लिख रहे हैं, इसकी जांच करायेंगे क्या ? मैं भ्रष्टाचार का नहीं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- संतराम भाई। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- किस स्तर की अधिकारी से जांच करायेंगे, ये भी पूछ लो। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री संतराम नेताम :- मैं वही तो कह रहा था कि उन्होंने दो पत्र लिखा। एक 03.12 को लिखा है। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- आपने कहा कि कमिश्नर से ऊपर किससे जांच करायेंगे ? मंत्री स्वयं यहां सदन में उत्तर दे रहे हैं, मंत्री से भी ऊपर कोई हो सकता है क्या ?

श्री अजय चंद्राकर :- उसी की घोषणा कर दें कि ये आदमी करेगा। अब आप पटाक्षेप कर दीजिए कि इस स्तर का आदमी जांच करेगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- चंद्राकर जी को ही जांच के लिए लगा दीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- मंत्री जी अगर उसकी enquiry करेंगे तो क्या कमिश्नर से नीचे का करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया वह प्रर्याप्त है।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, पर्याप्त नहीं है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, ये दिखवा लूंगा पर्याप्त उत्तर नहीं होता। (व्यवधान) आप बताईये न किस स्तर का अधिकारी जांच करेगा। प्रिंसीपल सेक्रेटरी (व्यवधान) तो कौन करेगा ?

श्री धरमलाल कौशिक :- जब दो पत्र आया है और दो पत्र आने के बाद में माननीय सदस्य पूरी गंभीरता से इस बात को बोल रहे हैं, इसमें दिखवाने की बात नहीं है। हम बोल रहे हैं कि विधायक सदन की कमेटी से जांच करा लें, आप मत कराईये। आप यह तो बोलिये कि किसी स्तर की अधिकारी से करायेंगें, जब कमिश्नर है तो आप उसको डिप्टी कलेक्टर से जांच करायेंगे क्या ?

श्री रविन्द्र चौबे :- कैसा संभव है ? कौन उत्तर दे रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- इस सरकार में सब संभव है।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं, मैं बोल रहा हूं।

श्री रविन्द्र चौबे :- कैसे संभव है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- इसी बात को बताईये ना। जब कमिश्नर हैं तो उसके ऊपर के अधिकारी, सचिव स्तर के अधिकारी से जांच करायेंगे क्या या कोई कमेटी बनाकर जांच करायेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी..।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- सुनिये-सुनिये। पत्र विवादित हो चुका है, दो पत्र गये हैं, इसलिए आप उस पत्र की स्वयं जांच करें या सचिव को निर्देशित करें कि वे जांच करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- समय सीमा भी बतायें।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रकरण में सचिव स्तर के अधिकारी से जांच कराने की घोषणा करता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- बस, बात खत्म हो गयी।

संतराम महोदय :- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, धन्यवाद।

<u>अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में सीमांकन/फौती तथा नामांतरण के लंबित प्रकरण</u>

2. (*क्र. 87) श्री सौरभ सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 26-01-2021 की स्थिति में किस-किस तहसील में निर्विवादित सीमांकन, फौती और नामांतरण के कितने-कितने आवेदन के प्रकरण कब से लंबित हैं? आवेदनों का निराकरण कब तक होगा?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तहसील अकलतरा एवं बलौदा आता है, तहसील अकलतरा में दिनांक 26-01-2021 की स्थिति में अविवादित सीमांकन के 74 प्रकरण लंबित है तथा फौती और नामांतरण के 14 प्रकरण लंबित है एवं तहसील बलौदा में अविवादित सीमांकन के 48 प्रकरण लंबित है तथा फौती और नामांतरण के 09 प्रकरण लंबित है. उपरोक्त प्रकरण राजस्व वर्ष 2020-21 के समय-सीमा के अंतर्गत लंबित है. प्रकरण का निराकरण समय-सीमा पर पूर्ण कर लिया जाएगा.

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न में जवाब दिया है कि निर्विवाद सीमांकन के 122 प्रकरण दो तहसीलों में लंबित हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस पटवारी हल्का नंबर में सबसे ज्यादा प्रकरण लंबित हैं ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, बलौदा तहसील के अंतर्गत मऊहा जूनाडीह, बिरगैनी 5 प्रकरण हैं। बलौदा तहसील के अंतर्गत बलौदा में 15 प्रकरण हैं। सबसे ज्यादा 15 प्रकरण बलौदा तहसील में हैं। पटवारी हल्का नंबर 17 है।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से पटवारी हल्का नंबर पूछा है। किस कारण से लंबित हैं। बलौदा शहर का भाग है, किस कारण से लंबित हैं ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, समय सीमा में हैं। कोरोना के कारण जो समस्या रही है, आप भी जानते हैं कि राजस्व का मामला किस प्रकार से काम की है और अभी कर रहा है। इस कारण से लंबित हैं और समय सीमा है। उनका हल कर लिया जायेगा।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समय सीमा में हैं। लोक सेवा गांरटी अधिनियम के तहत समय सीमा में निराकरण होना चाहिए। ये निहित जनहित का मामला है। सीमांकन से फिर जमीन के विवाद आगे होते हैं, मैंने निर्विवाद सीमांकन पूछा हैं। आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि निर्विवादित सीमांकनों का क्या समय सीमा में ये पूरे 122 प्रकरणों का निराकरण कर देंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आज उनका जन्मदिन हैं।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, समय सीमा निर्धारित है और समय सीमा में किया जायेगा। उसको कोशिश कर रहे हैं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अविवादित नामान्तरण, बंटवारा, फौती, इसको करने का अधिकार पहले ग्राम पंचायत को था। क्या आप ये अधिकार उनसे वापिस ले लिए हैं ? यह राजस्व विभाग ही यह कार्य करेगा और ग्राम पंचायत को इस अधिकार से वंचित किया गया है क्या ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्हें अधिकार से वंचित नहीं किया गया है। यह कार्य लोक सेवा गारंटी के तहत किया जा रहा है। उसमें अच्छे ढंग से कार्य चल रहा है, ऐसा नहीं है काम नहीं चल रहा है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- पंचायत को उसके अधिकार से वंचित कर दिया गया है क्या ? आप उन कार्यों को लोक सेवा गारंटी के तहत ले रहे हैं। आवेदन तो तहसील में हो रहा है, लोक सेवा गारंटी के कार्यों का निष्पादन तहसीलदार कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत इस अधिकार से वंचित हो गये हैं क्या ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चन्द्रा जी, उनको उनके किसी कार्य से वंचित नहीं किया गया है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं।

<u>समग्र शिक्षा/राजीव गांधी शिक्षा मिशन अंतर्गत ऑडिट का भुगतान</u>

3. (*क्र. 549) श्री अजय चन्द्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) समग्र शिक्षा/राजीव गांधी शिक्षा मिशन अंतर्गत विगत 5 वर्षों का ऑडिट तथा टेली का कार्य किन-किन कंपनी/संस्था/फर्म द्वारा किन नियम शर्तों के आधार पर कराया गया है ? तथा इन कंपनी/संस्था फर्म को भुगतान किस आधार पर किस मद से कितना-कितना किया गया है ? ऑडिट तथा टेली का वर्षवार अलग-अलग बतायें ? (ख) क्या उक्त योजना अंतर्गत टेली एवं ऑडिट का कार्य जिला कार्यालय एवं उनके अधिनस्थ स्कूल/संकुल/संस्थाओं पोर्टा केबिन/बी.आर.सी.सी./छात्रावास/के.जी.बी.बी. में कराया जाता है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ", "ब" एवं "स" में है. (ख) जी हां, परन्तु स्कूलों एवं संकुलों में टेली का कार्य नहीं कराया जाता है.

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अज्ञात कारणों से इस प्रश्न में प्रश्न नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, आपको वह अज्ञात कारण विधान सभा में बताना होगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपको कक्ष में मिलकर उस अज्ञात कारण को बता दूंगा, लेकिन मैं इसमें प्रश्न नहीं करना चाहता।

जिला कबीरधाम में संचालित शालाओं हेतु फर्नीचर खरीदी

4. (*क्र. 1050) श्रीमती ममता चन्द्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कबीरधाम में संचालित शालाओं के लिये फर्नीचर क्रय हेतु वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में जनवरी, 2021 तक कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? (ख)सप्लायर/संस्था फर्म द्वारा कितनी-कितनी मात्रा एवं किस दर पर फर्नीचर सप्लाई की गई है. (ग) कितनी स्कूल एवं संस्थाओं में गुणवत्ता विहीन फर्नीचर सप्लाई की शिकायत प्राप्त हुई ? (घ) जिलों की कितनी स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है? नामसहित जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) वर्ष 2018-19 में 4 करोड़ 10 लाख 41 हजार, वर्ष 2019-20 में 2 करोड़ 45 लाख 44 हजार एवं वर्ष 2020-21 में जनवरी 2021 तक 2 करोड़ 18 लाख 83 हजार राशि आवंटित की गई. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में अंकित है. (ग) किसी भी स्कूल/संस्था में गुणवत्ता विहीन फर्नीचर सप्लाई की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. (घ) जिले की समस्त पूर्व माध्यमिक/हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी शालाओं में फर्नीचर है. शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

श्रीमती ममता चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कबीरधाम जिले में फर्नीचर को लेकर प्रश्न था। इसमें राशि का जवाब तो मिला है। इसमें मंत्री जी का जवाब है कि फर्नीचर सप्लाई की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि मुझे स्वयं निरीक्षण के दौरान कुछ बच्चों को जमीन पर बैठे हुए मिले। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो शिकायत मिली है, उसकी जानकारी मंत्री जी को नहीं दिए हैं ? मेरा मंत्री जी ने निवेदन है कि वे अधिकारियों से इस जानकारी को मंगायें और इसकी जांच कराकर स्कूल को व्यवस्थित करायें।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, जी हां।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी का सुझाव बहुत अच्छा है। जो प्राथमिक स्कूल के बच्चें होते हैं, उनके बैठने के लिए टाटपट्टी की व्यवस्था रहती है। उसके ऊपर मीडिल स्कूल, हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल के बच्चों के बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था रहती है। उनका सुझाव अच्छा है।

अध्यक्ष महोदय :- आप उनकी व्यथा को समझते हुए कह दीजिये कि आगे कार्रवाई करेंगे।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- जी।

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

श्रीमती ममता चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री जी का जवाब है कि प्राथमिक शाला में टाटपट्टी का वितरण होता है, लेकिन मेरा प्रश्न मीडिल स्कूल, हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल में भी बच्चों के बैठने के फर्नीचर नहीं है, का है। तो कागजों में आवंटित की गई राशि का कहां उपयोग होता है ? मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि इस चीज की जिला स्तर पर समिति से जांच कराकर के अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करेंगे ? आप इसकी पूरी जानकारी मंगायेंगे?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले एक साल, 10 महीने से स्कूल बंद हैं। अभी जो भी फर्नीचर गये हैं, लेकिन अभी स्कूल खुले नहीं हैं, स्कूल्स बंद हैं। इसलिए अभी बैठने का प्रश्न ही नहीं है। बाकी सुझाव अच्छा है। मैं अधिकारियों को, बी.ई.ओ. को निर्देशित करूंगा।

श्रीमती ममता चन्द्राकर :- मुझे जो भी आवेदन प्राप्त हुआ है..।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- जो भी आवेदन-पत्र आयेगा, वहां के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दूंगा।

श्रीमती ममता चन्द्राकर :- आवेदन में लगभग 25-26 ऐसे हाई स्कूल हैं, जहां बिलकुल ही फर्नीचर नहीं हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी..।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आगे बढ़ने दीजिये। क्यों उसी-उसी में कह रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं, माननीय विधायिका की शिकायत तो वहां के अधिकारियों से ही है और आप वहां के अधिकारियों को निर्देशित करेंगे तो वे क्या जांच करेंगे ? माननीय विधायिका जी दौरे पर गई हैं।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आपको पूरे प्रदेश के अधिकारियों से इतनी पीड़ा क्यों हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं, पूरे प्रदेश के अधिकारियों से पीड़ा नहीं है।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप हर प्रश्न में अधिकारियों के खिलाफ बोल रहे हैं। पहला प्रश्न हुआ तो भी वही बात आई, अजय जी बोले तो भी वही बात, माननीय सदस्या पूछ रही हैं तो भी आपने कह दिया।

अध्यक्ष महोदय :- इसका मतलब यह है कि ..।

श्री रविन्द्र चौबे :- यह प्रतिकार उचित नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, आज के दोनों प्रश्न चाहे संतराम जी का प्रश्न हो चाहे बहन ममता जी का प्रश्न हो, दोनों सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, छोड़िये।

श्री शिवरतन शर्मा :- सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक अधिकारियों की तानाशाही से परेशान हैं। उनके भ्रष्टाचार से परेशान हैं। आपने कबीरधाम जिले का प्रश्न किया है और कबीरधाम जिले के अधिकारियों से ही जांच करायेंगे तो कैसे जांच होगी ? आप दूसरे अधिकारियों से जांच की बात कीजिये न।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- बांधी जी, बांधी जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- अगर विधायिका जी कोई बात कह रही हैं तो ..।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच की बात नहीं है, विधायिका जी के प्रत्रों को संज्ञान में लेने की बात है। आप कम सुनते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने कहा कि वहां के अधिकारियों को बोल दूंगा। आप कार्यवाही निकालकर देख लीजिये।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आप सुनिये कि वह क्या बोल रही हैं ? विधायिका जी क्या बोल रही हैं कि उनके पत्र जाते हैं उसे संज्ञान में लेना चाहिए। । मैं उसी बात को बोल रहा हूं आप सुनते नहीं हैं। आप थोड़ा ठीक कराईये। आप कम सुनते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, मैं बिलकुल ठीक हूं। आप अपना उत्तर देने के पहले सोच लिया करें कि क्या उत्तर दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आगे बढ़ने दीजिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि अभी स्कूलों में जो फर्नीचर जा रहे हैं, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ही खराब है। 4-6 महीने में खराब हो जायेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो सप्लाई हो रहा है, वह अच्छा हो, ऐसा मेरा आग्रह है। उसको दिखवा लें। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। (शेम-शेम की आवाजें)

अध्यक्ष महोदय :- श्री सत्यनारायण जी शर्मा।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपके सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक कह रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है, आपको ध्यान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। सुझाव आ रहा है। चलिये, चलिये, प्लीज। सुझाव आने दीजिये, रहने दीजिये न। सुझाव आ गया। आगे बढ़ने दीजिये।

प्रश्न संख्या 05 : XX XX

<u>प्रदेश में उन्नयित शालाओं में शिक्षकों एवं शाला भवनों की व्यवस्था</u>

6. (*क्र. 967) श्री सत्यनारायण शर्मा: क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में प्रदेश के कितने हाईस्कूल को हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन हेतु प्रस्तावित किया गया है? इनमें से कितने स्कूलों का उन्नयन किया गया है और कितने शेष हैं? जिलेवार एवं शालावार जानकारी देवें? (ख) कंडिका "क" में उन्नयित किये गये शालाओं में शिक्षकों के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने कार्यरत हैं? जिलेवार एवं शालावार जानकारी देवें? (ग) उन्नयित किये गये शालाओं में कितने स्कूलों में भवन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हुई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) वर्ष 2019-20 में 22 हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन बजट में प्रावधानित था, सभी का उन्नयन आदेश जारी हो चुका है. वर्ष 2020-21 में 25 हाईस्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन हेतु बजट में प्रावधानित है, उन्नयन आदेश जारी नहीं किया गया है. शेष जानकारी ††[3] संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ग) उन्नयन की गई सभी शालाओं में पर्याप्त भवन नहीं है. हाईस्कूल/पूर्व माध्यमिक शाला भवन में संचालन हो रहा है.

श्री सत्यनारायण शर्मा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा है कि वर्ष 2020-2021 में हाईस्कूल के उन्नयन के आदेश जारी नहीं हुए हैं। आदेश जारी नहीं होने के कारण क्या हैं? क्यों आदेश जारी नहीं हुए हैं?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य मंत्री भी रह चुके हैं। कोरोनाकाल में बहुत से काम अभी लंबित हैं। हमने प्रस्ताव भेजा था लेकिन शासन के द्वारा अभी उसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, जैसे ही स्वीकृति प्राप्त होगी उसके आदेश जारी करूंगा। शर्मा जी, आप तो खुद ही मंत्री रह चुके हैं। आप इस बात को जानते हैं कि कैसे प्रशासन चलता है।

अध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी संतुष्ट हैं?

श्री सत्यनारायण शर्मा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा कि आपके कक्ष में बता दूंगा, मैं इसमें प्रश्न पूछना नहीं चाहता, तो कोई न कोई कारण होगा। ये बात पहले भी आई है। मेरा यह कहना है कि उसमें संज्ञान लेने की आवश्यकता है और जब तक संज्ञान नहीं लेंगे, यह स्थिति रहेगी जो कि ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- जब प्रश्नकर्ता संतुष्ट हैं, मंत्री जी संतुष्ट हैं।

श्री धरम लाल कौशिक:- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन मंत्रियों से तो ये लोग संतुष्ट नहीं हैं, बाकी के संतुष्ट होने का प्रश्न ही नहीं है और मंत्री को गुमराह अधिकारी कर रहे हैं और अधिकारी का बचाव मंत्री कर रहे हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नेता जी कैसे संतुष्ट होंगे, यह बता दें?

श्री धरम लाल कौशिक:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो थोड़ी देर में आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, तब मुझे संतुष्ट करेंगे। प्रश्न यह है कि जो बात आई है, जो आपके संज्ञान में है, मेरा कहना है कि वह स्थिति आने वाले समय में उत्पन्न न हो ऐसी कुछ व्यवस्था आप तय करेंगे।

[3] परिशिष्ट "दो"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, मैं उसको करता हूं।

श्री शिवरतन शर्मा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय :- मेरे ख्याल से श्री धरम लाल कौशिक जी को बिलासपुर जाना है।

श्री शिवरतन शर्मा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के बाद जायेंगे ना, प्रश्नकाल तो 12.00 बजे तक तय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि आज लगातार जितने प्रश्न आ रहे हैं सब रूलिंग पार्टी के विधायकों के आये हैं। और सारे लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाये और अजय चंद्राकर जैसे वरिष्ठ सदस्य का प्रश्न आया और उन्होंने प्रश्न पूछने से इंकार किया। आखिर वह क्यों प्रश्न नहीं कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उस विषय पर भी जांच करनी चाहिए? उस विषय पर भी बात होनी चाहिए।

श्री सत्यनारायण शर्मा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप क्यों बेचैन हैं शर्मा जी?

अध्यक्ष महोदय :- वह तो बाद में देखेंगे। उन्होंने हमसे बात करने की बात कही है।

श्री सत्यनारायण शर्मा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी हर प्रश्न में खड़े होते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, आपके खड़े होने की क्षमता खत्म हो गई है। अब आपका स्वास्थ्य ठीक रहता नहीं है, आप खड़े हो नहीं पाते, जब आपको कक्ष में ही जवाब लेना था तो यहां प्रश्न लगाने की आवश्यकता क्या थी?

श्री सत्यनारायण शर्मा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी को बोलते हैं कि दाल-भात में मूशरचंद।

जिला जांजगीर-चांपा में बारिश से बाढ़ आने से हुई क्षति का मुआवजा

7. (*क्र. 721) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा: क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में वर्ष 2020-21 में दिनांक 27-08-2020 से 29-08-2020 तक मूसलाधार बारिश से बाढ़ आने के कारण कितने मकान, पशु हानि एवं फसल क्षति हुई है? (ख) बाढ़ में हुई हानि का राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कितना आंकलन किया गया है? (ग) क्या उपरोक्त किसानों को मकान, फसल क्षति, खाद्य एवं पशु हानि का मुआवजा प्राप्त हो गया है? यदि नहीं, तो कब तक भुगतान कर दिया जायेगा?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में जांजगीर-चांपा जिले में मूसलाधार बारिश से बाढ़ आने के कारण 11813 मकान क्षति, 02 पशु हानि एवं 127 किसानों की फसल क्षति हुई है. (ख) राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कुल राशि रुपये 3 करोड़ 87 लाख 91 हजार 6 सौ 21 का आंकलन किया गया है. (ग) मकान क्षति के 11072 व्यक्तियों को रुपये 2 करोड़ 96 लाख 54 हजार 8 सौ 21, पशु हानि के 2 व्यक्तियों को रुपये 6 हजार तथा फसल क्षति के 127 किसानों को रुपये 3 लाख

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

38 हजार 50 का भुगतान कर दिया गया है. मकान क्षति के शेष 741 व्यक्तियों को रुपये 29 लाख 39 हजार 4 सौ का भुगतान किया जा रहा है. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में माननीय मंत्री जी का जवाब आया है, इसमें मुझे एक ही प्रश्न करना है कि जैजेपुर तहसील में भातमाहुल गांव है, जो कि वहां बाढ़ से घिर गया था और रेश्क्यू टीम द्वारा आकर 85 लोगों को निकाला गया है और वहां करीब-करीब 34 घर पूर्णरूपेण क्षतिग्रस्त हो गये लेकिन उस गांव का एक भी प्रकरण राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत मुआवजा नहीं दिया गया है। आप पूरे जिले में 3 करोड़ रूपये से ज्यादा मुआवजा दिये लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित गांव भातमाहुल में न तो पटवारी प्रकरण बनाया, न आपका एस.डी.एम. वहां मुआवजा दिया। मैं पांच बार पत्र लिखा हूं। ऐसा क्या कारण है, उस गांव से प्रशासन के अधिकारियों की क्या दुर्भावना है कि वहां का प्रकरण नहीं बनाये, उनको मुआवजा नहीं मिला। क्या आप इसकी आप जांच करवायेंगे और उनको मुआवजा दिलवायेंगे क्या?

अध्यक्ष महोदय :- गांव का नाम फिर से बताईये?

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, भातमाहुल।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकांश लोगों को मुआवजा दिया गया और अगर छूट गया है तो उसको दिखवा लेंगे और मुआवजा मिल जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहत हौं कि पूर्ण क्षति में कतका मिलथे, अल्प क्षति में कतका पईसा मिलथे? ऐखर बारे में मैं मंत्री जी ला पूछना चाहत हौं।

(माननीय मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) द्वारा संसदीय कार्यमंत्री से चर्चा में व्यस्त रहने पर)

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी अभी विचलित हैं, आपकी बात को सुन नहीं रहे हैं। मंत्री जी।

श्री बृहस्पत सिंह :- मंत्री जी, ऐसे ही जवाब दे दीजिए ना। उसके लिए कागज, पर्ची की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी। संसदीय कार्य मंत्री जी। ओ मंत्री जी। मंत्री जी उसका जवाब दीजिए।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या चीज? (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- जवाब दीजिए। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- मंत्री जी, मैं पूछना चाहत हों कि काकरो घर ह फूटथे ओला कतका मुआवजा मिलथे ऐसा तीन प्रकार के क्राईटेरिया बनाये ह। मैं ये कहना चाहत हों कि काकरो घर ह फूटे हे ओला मुआवजा मिलही कथन तो ओला एक बल्ली के पईसा मिलथे। ओला बढ़ाया जाए, ये मैं आपसे कहना चाहत हौं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुआवजा में हर चीज का निर्धारण अलग-अलग है। और जिस प्रकार से जो क्षति होती है उसका मुआवजा प्रदान किया जाता है।

श्री रामकुमार यादव :- ओ ढर्रा चलत आत हे, गरीबमन के बढ़ते नई हे। बाकी पेट्रोल, डीजल सबके भाव बढ़त जात हे, सब चीज के भाव बढ़त जात हे। मोर पूरा सदन ला कहना हे कि उहू ला बढ़ा दिये जाए।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- जो मुआवजा निर्धारित है, उसके मुताबिक भुगतान किया गया है अगर उसमें किसी की कटौती हुई है तो आप बताईये।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय मंत्री जी, यह बात नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि अभी तक जो निर्धारित मुआवजा की राशि देने का प्रावधान था, वह कम है। आज के हिसाब से आपका कुछ बढ़ाने का भी प्रावधान है?

अध्यक्ष महोदय :- आप विचार करेंगे?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कोई मुआवजा की राशि बढ़ाने का प्रावधान नहीं है, उसको बाद में देखा जाएगा।

<u>मध्यान्ह भोजन में सूखा राशन का वितरण</u>

8. (*क्र. 699) श्री धरमलाल कौशिक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि इस वित्तीय वर्ष में स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा मध्यान्ह भोजन में सूखा राशन का वितरण किया गया था? यदि हां, तो कितने विद्यार्थियों को कितनी राशि का राशन वितरण किया गया है तथा सूखा राशन ने क्या-क्या सामग्री किस दर पर दी गई है? जिलेवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार अवधि में क्या एन.सी.सी.एफ. केन्द्रीय भण्डार व हूरष्टहूस्न से भी सूखा राशन क्रय किया गया है? यदि हां, तो कुल कितनी राशि का सूखा राशन उपरोक्तानुसार किन-किन संस्थाओं से क्रय किया गया है? उपरोक्त संस्थाओं को कब क्रय आदेश दिया गया है व कितने दिनों के अंदर सामग्री आपूर्ति की जानी थी? क्या निर्धारित अवधि में सामग्री आपूर्ति की गई है? यदि नहीं, तो कितने दिनों के विलम्ब से सामग्री आपूर्ति की गई है ? जिलेवार जानकारी देवें? भंडार क्रय नियम के किस उप नियम के अधीन इन संस्थाओं को बिना निविदा सीधे आदेश प्रदाय किया गया था? क्या भंडार क्रय नियम में इसका प्रावधान है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां. विद्यार्थियों एवं राशि की जानकारी †[4] संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित है. सूखा राशन में चावल, दाल, तेल, नमक, आचार एवं सोयाबड़ी

4 †परिशिष्ट - "तीन"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रदाय की गई है. दाल, तेल, आचार एवं सोयाबड़ी हेतु समेकित रूप से प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिये रु. 5.19 प्रति छात्र प्रति दिवस तथा अपर प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिये रु. 7.45 प्रति छात्र प्रति दिवस से प्रदान की गई है. प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों हेतु चावल के लिये रु. 0.43 प्रति विद्यार्थी प्रति दिवस एवं अपर प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों हेतु रु. 0.65 प्रति विद्यार्थी प्रति दिवस की दर से छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम को भुगतान किया जाता है. जिलेवार जानकारी प्रपत्र "अ" में † संलग्न है. (ख) जी हां, जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित है.

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूँ। माननीय मंत्री जी से मुस्कुरा के प्रश्न पूछ रहा हूँ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत):- आप हमेशा गुस्सा में रहते हैं। आप पहली बार मुस्कुरा के प्रश्न कर रहे हैं।

श्री अमितेष शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा बोलते हैं कि माननीय कौशिक जी का स्वभाव बहुत सौम्य है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूँ कि स्कूलों में जो मध्यान्ह भोजन में सूखा राशन का वितरण किया गया है, उसके जो खरीदने के नियम और प्रक्रिया है। जो सूखा राशन का वितरण किया गया तो इसमें माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि एन.सी.सी.एफ. केन्द्रीय भण्डार व नैफेड से बिना टेण्डर के खरीदी नहीं की जा सकती। और सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, इनके द्वारा खरीदी की गई है तो माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इसी छत्तीसगढ़ विधान सभा के उसमें नियम है और उसको बिना टेण्डर की खरीदी के बेन किया गया है तो आपने बिना टेण्डर के क्यों खरीदी की ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोराना के संक्रमण से रोकथाम के लिए 13 मार्च 2020 से राज्य की शालाओं को बंद करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां बंद शाला में ....।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में पहला कोरोना का केस 18 मार्च 2020 को आया। जो कोराना आया, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले जवाब सुन लीजिए। तो छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो शाला बंद करने के आदेश के पश्चात् 13 मार्च से सूखा राशन का वितरण विषम परिस्थितियों में किया जा रहा है। जिले में कोरोना के प्रोटोकाल का पालन करते हुए कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से समन्वय करके महिला स्वसहायता समूह..।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। मैं उतनी दूर नहीं जा रहा हूँ। जब उसमें बेन है तो आपने खरीदी किस आधार पर की ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भारत सरकार की गाईडलाईन है, उसके साथ हमने इसमें खरीदी की है। भारत सरकार के जो ज्वाईंट सेक्रेटरी हैं मिस्टर आर.सी. मीना है, ज्वाईंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिसोर्सेज, स्कूल एजुकेशन।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप थोड़ा आवाज से पढ़ेगें।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- आप कान में हेडफोन लगा लीजिए। तहूं कान में लगा लेना गा।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पत्र में उल्लेख है जिसके तहत किया है। एक मिनट मैं इसको पढ़ देता हूँ:-

As the country is passing throug the difficult times of the Novel Covid 19 (Corona) outbreak The State Governments and the Union Territories are advised to provide hot cooked Mid Day Meal or Food security Allowance

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अंग्रेजी में है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले आप सुन लीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सुन लिया हूँ। मै प्रश्न कर रहा हूँ।

श्री अमरजीत भगत :- आपने प्रश्न किया है तो उत्तर तो सुन लीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- कहने का आशय यह है कि भारत सरकार की गाईड लाईन का पूरा पालन किये हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर भारत सरकार की गाईड लाईन का पूरा पालन किये हैं तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ। मैं उसमें आ रहा हूँ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- वह गाईड लाईन को पढ़कर बता रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी, आप बता दिये, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। आप संतुष्ट करेंगे।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय नेता जी, आप सुन लीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नमस्ते ट्रम्प कब आया ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम:- माननीय अध्यक्ष महोदय, it is advoice that the State and UTs may explore all available options including utilizing the service of Govt of india organization like NAFED Kendriya Bhandar National Cooperative Consumers Federation of india से भी खरीद सकते हैं। बिना टेण्डर के। This is clear, यू आर अण्डरस्टैण्ड । (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। कोई अधूरा नहीं है। हां, clear। इट is clear ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय मंत्री जी एक अधूरा रह गया है। मैंने आपके माध्यम से यह पूछा था कि नमस्त ट्रम्प कब आया?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कि आपका धारा 10 में जो सर्कुलर जारी हुआ कि आपातकाल में खरीदी कर सकते हैं। आप आपातकाल में खरीदी कर सकते हैं तो आप मुझे थोड़ा समझायेंगे कि आपातकाल में आपकी जो 16 जून से 10 अगस्त खरीदी हुई, संचालनालय से 25 जुलाई 2020 को आदेश जारी किया। उसके बाद आपने बताया कि उसमें 25 जुलाई 2020 को आदेश दिया गया गया, यह जो 25 जुलाई 2020 का सूरजपुर जिले का आदेश है, सिर्फ 21 सितंबर 2020 को आदेश दिया जाना बताया गया है। आप आपातकाल की बात कर रहे हैं तो आप मुझे यह बतायें कि उसमें जो सप्लाई हुआ, संचालनालय का आर्डर कब का था? उसमें आर्डर के बाद में आपने बस्तर में कब सप्लाई किया? संचालनालय के आदेश के बाद में आपके डी.ओ. ने उनको कब आदेश जारी किया और उसकी सप्लाई किस तारीख को की गई? उसके बाद में सप्लाई करने वालें ने क्या उसमें अलग से समय लिया?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको यह सब मालूम है कि कोरोनाकाल है, उसमें कई जगह टेन्डर हो पाते हैं और कई जगह नहीं हो पाते हैं। वहां की ऐसी परिस्थितियां रहती हैं। वहां के कलेक्टर नोडल अधिकारी होते हैं और डी.ओ. सचिव होते हैं, दोनों के समन्वय से यह तय होता है कि किससे खरीदना है, कब खरीदना है। इस बात की आवश्यकता है कि सूखा राशन बच्चों के घर तक पहुंच जाये। यह मेन उद्देश्य है। इसीलिए हम लोग उसमें ऐसा कर रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सप्लाई करने का जो आदेश संचालनालय ने जारी किया, उस अवधि में वह नहीं कर पाये और उसके बाद में उसमें 20 दिन के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया। 20 दिन का अतिरिक्त समय मांगने के बाद भी उसको सप्लाई करने में 4 महीने का समय लगा। ऐसी कौन सी इमरजेन्सी में उसको छूट दी गई ? इमरजेन्सी में जो सप्लाई की जानी है, क्या ऐसा कोई आपातकाल है कि इमरजेन्सी में 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे के अंदर सप्लाई की जाना है ? आप उसको 4 महीने तक सप्लाई करने का समय दे रहे हैं, उसके बाद भी 20 दिन का अतिरिक्त समय दे रहे हैं। यह कौन सा आपातकाल का समय लगा है ? आपने कोण्डगांव, बस्तर, सूरजपूर 3 जिलों में सप्लाई का आदेश किया है, बाकी जिलों में सप्लाई का आदेश हुआ है, वहां पर आपातकाल नहीं लगा है। आप मेरे को यह बताईये कि कोविड के समय में यह तीन जिलों में और बाकी जिलों में क्या अंतर रहा कि वहां छूट देनी पड़ी और बाकी जिलों में सामान्य सप्लाई के तहत हुआ ? जिलों जिलो में कौन सा आपातकाल है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि वहां की जो परिस्थितियां रहती हैं, उनके अनुसार किया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में और देश में कोविड संक्रमण का आपातकाल है। यह तीन जिलों के लिए आपातकाल में खरीदी की, यह 400 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का मामला है। यह छोटा-मोटा मामला नहीं है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ.शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी का जवाब तो सुन लें।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह 400 करोड रुपये के भ्रष्टाचार के मामले को लीपापोती करने में, बचाने में मंत्री जी लगे हुए हैं। मैं यह पूछ रहा हूं कि कोविड का संक्रमण पूरे प्रदेश में था, उनसे खरीदने का यह 3 जिलों में जो छूट दी गई और बाकी जिलों में सामान्य स्थिति रही तो दोनों में भिन्नता क्या है ?

अध्यक्ष महोदय :- आप वह 3 जिले का नाम बता दीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- नाम बता दिया।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आदिवासी जिले हैं, क्या आप नहीं चाहते कि वहां के बच्चों को राशन मिले ? जब राशन देने की व्यवस्था हो रही है, क्या परिस्थितियां होंगी, किनसे सप्लाई करेंगे, उसकी कब छूट मिलेगी, वहां की महिलाओं का स्वसहायता समूह है, क्या उनको काम नहीं मिलना चाहिए ? यह जो महिला स्वसहायता समूह हैं, उनको छूट दी गई है। क्या उनको छूट नहीं मिलनी चाहिए ?

श्री धरमलाल कौशिक :- आखिर 3 जिलो में कौन सी आपातकाल की स्थिति रही ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया:- माननीय अध्यक्ष जी, आदिवासियों के मामले में इनका दृष्टिकोण ठीक नहीं है। आदिवासी जिलों में बच्चों को पोषण आहार मिले, उसमें क्या दिक्कत है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य में राशन पहुंचाने की अच्छी व्यवस्था की गई है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 34 करोड़ रुपये की सोयाबीन की बड़ी ली है और वह भी एक प्राइवेट संस्था से लिया है। माननीय मंत्री जी सोयाबड़ी का रेट बता दें कि किस दर में खरीदी की गई है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय नेता जी, प्राइवेट संस्था नहीं है, वह भी गवर्नमेण्ट संस्था है, उससे लिया गया है। भारत सरकार की गाईडलाईन में भी है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने सोयाबड़ी खरीदी न, किस रेट में सोयाबड़ी की खरीदी की गई है यह थोड़ा सा बतायेंगे ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाईडलाईन, कोरोना की जो गाईडलाईन है, उसके अंतर्गत ही खरीदी गई है । (व्यवधान) जो पूरी खरीदी की गई है वह गाईडलाईन के अनुसार से की गई है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं सेंट्रल गवर्नमेंट या यहां की गाईडलाईन में नहीं जा रहा हूं । आपने बड़ी की खरीदी की तो आपने किस रेट में बड़ी की सप्लाई की, किस रेट में आपने खरीदी की है ? उसमें दिया हुआ है, आप उस रेट को बताईए न ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए खरीदी की गई है ।(व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- किस रेट में खरीदी की गई यह तो बतायेंगे ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी की खरीदी में बड़ी गड़बड़ी है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- चूंकि 34 करोड़ की बड़ी है तो आप उसका थोड़ा सा रेट बता दें कि किस रेट में खरीदी की गई है ?

अध्यक्ष महोदय :- आपको पता है तो आप ही बता दीजिए न ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप पर्ची बुलवा लीजिए न, कोई दिक्कत नहीं है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जरूरत नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपको जानकारी है तो आप बता दें । (व्यवधान)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश के बड़े-बड़े पेपरों में बड़ी की खबर छपी है । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- बड़ी की बड़ी खबर है और बड़ी गड़बड़ी है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- कोई गड़बड़ी नहीं हुई है । बड़ी की खरीदी बीज निगम के द्वारा प्रदाय किया गया है ।

श्री अजय चंद्राकर :- बीज निगम भी भारत सरकार की संस्था है, जिसमें में छूट मिली है । (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- मैंने यह कहा कि गाईडलाईन तो भारत सरकार की है कि बड़ी खरीदना है । (व्यवधान)

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है । (व्यवधान) ये व्यवधान उत्पन्न करते हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मेरा बहुत सामान्य प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- बीज निगम बड़ी बनाती नहीं है । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी यह है कि 34 करोड़ रूपए की बड़ी की खरीदी की गई तो माननीय मंत्री जी यह बहुत सामान्य सा प्रश्न है कि कितने रेट में खरीदी की गई यह बताईए ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- बीज निगम द्वारा प्रदायित जो खरीदी की गई ।

श्री धरमलाल कौशिक :- जो खरीदी की गई ।

श्री अमरजीत भगत :- आप लोग सुनने की आदत डालिए, आप लोगों की आदत ठीक नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह बीज निगम ने कब से बड़ी का काम करना शुरू कर दिया है ? (व्यवधान)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- पहले तो आपके पास ही बीज निगम था, सब बिगाड़कर रखे हो ।

अध्यक्ष महोदय :- पहले रेट तो देख लो । श्री बृजमोहन जी, पहले रेट तो आने दीजिए ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बीज निगम से खरीदी गई है और 105 रूपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदी की गई है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 105 रूपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदी गई है और वह भी अमानक पायी गई । मेरे बिल्हा में बड़ी, मस्तूरी में बड़ी अमानक पायी गई है । पायी गयी है कि नहीं पायी गई है, आप बोलिए न ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर अमानक पायी गई वहां पर उसको चेंज कर दिया गया । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आप बाजार जायेंगे और बड़ी की कीमत देखेंगे । आप बहुत अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो उसकी कीमत 55-60 रूपए है । इसमें 400 करोड़ रूपए की खरीदी हुई है, भारी भ्रष्टाचार हुआ है । इसकी जांच होनी चाहिए, मैं जांच की मांग करता हूं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है । जो बीज निगम की बड़ी है वह सबसे सस्ती है, निलांस की सोयाबीन बड़ी...।

श्री धरमलाल कौशिक :- 105 रूपये मतलब सबसे सस्ती है ?

अध्यक्ष महोदय :- टेंडर वगैरह आया होगा न, आप रेट सुन लीजिए ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बीज निगम की जो सोयाबड़ी है उसकी कीमत 105 रूपये 28 पैसे प्रति किलो है, निलांस की सोयाबीन बड़ी 250 रूपये प्रति किलो, फार्चून की सोयाबीन बड़ी 135 रूपये प्रति किलो और न्यूट्रिला की 150 रूपये प्रतिकिलो है, हम 105 रूपये प्रतिकिलो की सप्लाई कर रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अमेरिका और ब्रिटेन से बड़ी लाकर हमारे बच्चों को खिला रहे हैं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- छत्तीसगढ़ की है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- उसके बाद भी अमानक हो गया । इसमें बहुत गड़बड़ी हुई है । ये अमेरिका और ब्रिटेन से बड़ी लाकर हमारे बच्चों को खिला रहे हैं और उसके बाद भी अमानक हो गया, इसमें बहुत गड़बड़ी हुई है । आज आप बाजार में दिखवा लीजिए । बहुत हाईएस्ट क्वालिटी की बड़ी होगी तो 60 रूपए कीमत है । 400 करोड़ की खरीदी हुई है, 105 रूपये ये बता रहे हैं, भारी भ्रष्टाचार हुआ है और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से नियम-कानून की धज्जी उड़ाकर इसमें भ्रष्टाचार किया गया है । मैं माननीय मंत्री जी से इसकी समुचित जांच की मांग करता हूं, क्या इसकी जांच करायेंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए खरीदी की गई है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है और जांच की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी की तो जांच करायेंगे ही, दूसरा मेरा प्रश्न है चूंकि कोरोना तो अब समाप्त हो गया है तो क्या अब उस समिति को देंगे ? मैंने प्रश्न किया कि क्या इसकी जांच करायेंगे, मेरा दूसरा प्रश्न है कि अब चूंकि कोरोना का समय समाप्त हो गया है, कोरोना के कारण इन्होंने खरीदी के नियम का पालन किया, अब कलेक्टर के जो आदेश हैं क्या अब पुन: समिति को देंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, आप पूछिए । वे सबका जवाब एक-साथ देंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बीज विकास निगम के कामों में बड़ी खरीदने का भी प्रावधन है क्या ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने 3 जिलों का जो उत्तर दिया है । उसमें उद्धृत किया है कि भंडार क्रय नियम 10 में यह लेख है कि प्राकृतिक आपदा या कानून व्यवस्था की विषम परिस्थिति में बिना निविदा बुलाए ही आवश्यकतानुसार सामान खरीदा जा सकता है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सूखा राशन देने का निर्णय छत्तीसगढ़ शासन ने या आपके विभाग ने किस स्तर पर और किस तिथि को लिया और क्या यह निर्णय पूरे प्रदेश के लिए था या सिर्फ 3 जिले के लिए था ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आ जाने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- एक साथ आएगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- वे याद ही नहीं रख पाएंगे । इतने प्रश्न तो मंत्री जी को याद ही नहीं रहेंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- सुनने की हिम्मत भी तो रखिए ।

श्री अरूण वोरा :- वे स्कूली शिक्षा मंत्री हैं, उनको पूरा याद रहता है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, 13 मार्च से पूरे प्रदेश में, भारत सरकार की गाइड लाईन के अनुसार देने का प्रावधान किया गया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने यह पूछा कि छत्तीसगढ़ शासन ने सूखा राशन देने का निर्णय किस तिथि को किया और यह निर्णय पूरे प्रदेश के लिए था या सिर्फ 3 जिलों के लिए था । मैंने तिथि पूछी है, कृपया तिथि बताने का कष्ट करेंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि 13 मार्च ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, आप सोच लीजिए 13 मार्च को निर्णय लिया गया और सूरजपुर में 21.09 को सप्लाई हुआ है, भैयाथान में 21.09 को, कोंडागांव जिले में 22.09 को, बस्तर में 12.07 को हुआ है । निर्णय तीसरे महीने में हुआ और सातवें महीने में सप्लाई हुआ तो निर्णय करने के बाद क्या इनके पास निविदा बुलाने के लिए समय नहीं था ? जब इस बीच आपको 4 महीने का समय मिला तो ऐसी आपात स्थिति उसी समय क्यों निर्मित हुई ? आपने उस पीरियड में निविदा क्यों नहीं बुलाई ? कहीं न कहीं आप कुछ लोगों को लाभ देना चाहते थे इसलिए यह सब किया है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष जी, एक ही प्रश्न में तीन-तीन लोगों ने पूछ लिया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- जवाब ही नहीं आ रहा है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अनुपूरक प्रश्न में इस प्रकार से पूछेंगे अध्यक्ष महोदय ?

श्री शिवरतन शर्मा :- आप स्वयं कह रहे हैं कि आपने तीसरे महीने में निर्णय लिया । (व्यवधान)

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :-अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर इतने विस्तार से दिया गया । उसी बात को आप घुमा-फिराकर बार-बार पूछ रहे हैं । कोविड पीरियड था और इस कारण बहुत से नियम प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए केन्द्रीय गाइड लाईन का पालन करते हुए किया गया है । सेंट्रल गाइड लाईन का पालन करते हुए किया गया है । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- क्यों, मंत्री जी सक्षम नहीं हैं क्या ?

श्री नारायण चंदेल :- तीन जिलों में ही कोविड था क्या

श्री अजय चन्द्राकर :- इनकी आपदा की परिभाषा क्या है । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- ये केवल व्यवधान उत्पन्न करना चाहते हैं ।

श्री नारायण चंदेल :- सदन की कमेटी से जांच करवा लें । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया 14 लोग एक साथ खड़े हो गए हैं । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- जिस बड़ी को स्व-सहायता समूह 50 रूपए में देने को तैयार है, उसको इन्होंने 105 रूपए में खरीदा है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- मूल प्रश्न धरमलाल कौशिक जी का है । वे पूर्णत: सक्षम हैं, वे अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वे प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप सब लोग उनको सवाल पूछने दीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, 64 विधायकों को अधिकार है कि वे पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं कहा बोल रहा हूं कि आप प्रश्न नहीं पूछ सकते । मैंने आपको पूरक प्रश्न नहीं पूछने दिया है क्या ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पूरक प्रश्न कोई भी पूछ सकता है लेकिन 3 पूरक प्रश्न की अनुमति है । आप लोग पूरे 14 के 14 सदस्य नहीं पूछ सकते ।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने आपको पूरक प्रश्न पूछने का समय नहीं दिया, मोहले जी को नहीं दिया, शर्मा जी को नहीं दिया, चंद्राकर जी को नहीं दिया, किसको नहीं दिया ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पूरे 14 के 14 सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछोगे क्या ? नियम में तीन लोगों का ही है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह बहुत बड़ा मामला है ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं कहां बोल रहा हूं कि छोटा मामला है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नियम में प्रावधान है ज़रा पुस्तक पढ़कर देखो ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप सदन की कमेटी से जांच कराने के निर्देश दें । माननीय मंत्री जी का जवाब प्रॉपर वे में नहीं आ रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं प्रश्न की गंभीरता को समझ रहा हूं । इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनना चाह रहा हूं । उसमें मैं कहां आपत्ति कर रहा हूं । चंद्राकर जी हर प्रश्न में उल्टा बोलते हो । आप इतना तीखा मत बोलो की आपकी आवाज़ फट जाए और गलत निकल जाए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं कहां पूछ रहा हूं ?

अध्यक्ष महोदय :- मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कौशिक जी सक्षम हैं वे अपनी बात कह लेंगे, आप लोगों की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैंने ऐसा बोला है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ये नेता प्रतिपक्ष कौशिक जी को अक्षम बनाने के लिए प्रश्न पूछते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- भगवान आपको बुद्धि दे ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तोर बुद्धि तो ज्यादा हे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- सक्षमता की बात नहीं है । सामान्यत: एक-दूसरे के प्रश्न में भी माननीय सदस्य पूछते हैं और यह परंपरा वर्षों से रही है। इसलिए सक्षमता और अक्षमता की बात नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तोर बुद्धि तो ज्यादा हे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- मैं तो पूरा अवसर दे रहा हूं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इसलिए तो आपको अक्षम बनाने में लगे हुए हैं। नेता जी। ये लोग आपको प्रश्न पूछने ही नहीं दे रहे हैं। कहां पूछने दे रहे हैं?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष जी, ये तो आपको अक्षम बनाना चाहते हैं। हम मंत्री जी से जवाब पूछ रहे हैं न। आप बैठ जाइए।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, आप भी आसंदी में बैठते थे। आप भी अध्यक्ष थे। आप तीन प्रश्न से ज्यादा नहीं पूछने देते थे। वह तो अध्यक्ष जी का बहुत उदार दिल है कि इतने लोगों को अवसर दे रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- तो हम तो अध्यक्ष जी को बोल रहे हैं कि वे अवसर दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आप जवाब दे दो। हम तो समाप्त करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, कितना प्रश्न?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी बोल नहीं रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- विपक्ष के ऊपर ज्यादा उदारता है। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं केवल दो बात कहना चाहता हूं। एक तो इन्होंने आपातकाल का केन्द्र सरकार का गाइडलाइन के बारे में कहा। मैं आपको बता देता कि 11 अगस्त से 31 अक्टूबर, 2020 हेतु 63 दिनों के लिए संचालनालय से 20 सितंबर, 2020 को आदेश जारी किया गया। नंबर वन। उसके बाद में सूरजपुर ने 2 दिसंबर, 2020 को इस आदेश को जारी किया। उनके अधिकारी क्या करते रहें, एक। दूसरी बार इनका जो सप्लाई हुआ है 20 जनवरी, मतलब आदेश जारी करने के बाद में 4 महीने बाद। तो क्या आपातकाल की स्थिति थी कि 4 महीने के बाद उन्हें जमा करना है और आपातकाल की स्थिति की छूट उन्हें मिलनी चाहिए। नंबर 2, जो सोयाबीन की बड़ी है। जिसे प्राइवेट कंपनी को इन्होंने दिया। मतलब मैं पूछ दूंगा न कि उसका जी.एस.टी. क्या है ? इनकम टैक्स कितना पटाया? इन्होंने 34 करोड़ रूपये की बड़ी स्व-सहायता समूह से एक कंपनी से खरीदा। जो संभव ही नहीं है कि उसके पास में हो और उसके बाद 105 रूपये में बाजार में 55 रूपये 50 रूपये 60 रूपये बड़ी की कीमत है। ये दोनों में 4 महीने के बाद आपातकाल और बड़ी की जांच करायेंगे क्या? मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इसकी समुचित जांच करायेंगे क्या?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उत्तर आ चुका है। यह तो पहले ही बोल चुके हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूखा राशन दिया गया है, चाहे उसमें बड़ी दिया गया हो या बाकी जो दिये गये हैं, पूरे नियम प्रक्रिया का पालन करते हुए दिया गया है। मैंने पूर्व में कहा..।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- ये 4 महीने के बाद, यह कौन से नियम प्रक्रिया में है। 20 सितंबर को आदेश जारी किया गया। आप इसमें जांच करायेंगे क्या (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- यह 4 महीने बाद कौन से नियम में आता है। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हमारी सरकार में बिना नियम कानून के कोई कार्य नहीं होता। सब काम नियम और कानून से हुआ है माननीय नेता जी।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष जी, ये लोग अंग्रेजी में पूरा नहीं समझ पाये, लगता है। मैं फिर एक बार पूरे आदेश को पूरा पढ़वाउं क्या? एक बार फिर उस आदेश को पढ़ दीजिए फिर ये लोग समझ पायेंगे।

श्री सौरभ सिंह :- अमरजीत जी, अंग्रेजी में प्रश्न किया क्या?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- कोरोनाकाल है। जो वहां की परिस्थितियां हैं, उसके आधार पर वहां के कलेक्टर, वहां के शिक्षा अधिकारी ने निर्णय लिया कि कब किसे कितना समय देना है। इसका उद्देश्य यह था कि सूखा राशन बच्चों के घर तक पहुंचे।

श्री अजय चन्द्राकर :- कोरोनाकाल का तो सवाल ही नहीं हुआ है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपात स्थिति में बिना निविदा के बुलाने के प्रावधान है। 13 मार्च को राज्य शासन ने निर्णय किया और ये 9वें महीने में बुला रहे हैं। ये 6 महीने का पीरियड निविदा बुलाने के लिए पर्याप्त नहीं था क्या? और यह formality पूरी क्यों नहीं की गई? यह जवाब माननीय मंत्री जी देंगे क्या? नंबर वन। नंबर 2 सोयाबीन जिसे आप 105 रूपये किलो में बीज निगम से खरीद रहे हैं, ये 50 रूपये 45 रूपये किलो में मार्केट में मिल रहा है। इतनी महंगी सोयाबीन खरीदने का निर्णय इन्होंने क्यों किया, इसकी जानकारी दे दें, इसका उत्तर दे दें, बस यही आग्रह है।

श्री अजय चन्द्राकर :- चुनाव का चंदा नहीं मिल रहा है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- चाहे राशन हो या बड़ी हो गुणवत्तापूर्ण बड़ी की व्यवस्था की गई है। मार्केट में जो मिल रहा है, उसमें अंतर है। लेकिन मैंने जैसा बताया कि अलग-अलग परिस्थितियां हैं। किसी के ढाई सौ रूपया है और सबसे कम का हमने लिया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- ये सारी बातें आ चुकी। कोई उत्तर नहीं आ रहा है। मंत्री जी इसकी जांच करेंगे क्या। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- मंत्री जी जांच करायेंगे क्या। नियम का पालन नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर नहीं आ रहा है। इन्होंने व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए दिया है और नियम का पालन नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- कोई नियम का पालन नहीं हुआ है।

श्री नारायण चंदेल :- सदन की कमेटी से जांच कराई जाये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सौरभ सिंह :- सदन की कमेटी से जांच करायी जाये। इतना गंभीर मामला है।

श्री सौरभ सिंह :- इतने दिन का राशन नहीं दिया गया । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- सदन की कमेटी से जांच करायी जाये। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह नेता प्रतिपक्ष के द्वारा पूछा गया प्रश्न है और गंभीर मामला है। हम चाहेंगे कि आपके द्वारा यह घोषणा होनी चाहिए कि सदन की कमेटी से इसकी जांच हो। यह गंभीर मामला है।

श्री नारायण चंदल :- बस हो गया, समय खत्म। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आप जवाब दे दें। सर, आप निर्णय कर दो। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच के लिए आप निर्णय कर दें।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्वाइंटेड प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आप निर्णय कर दें। (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए खरीदी की गई है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह गंभीर मामला है और बच्चों के राशन पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है। कोरोना के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इसकी जांच होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12:00 बजे

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, अध्यक्ष महोदय..।

अध्यक्ष महोदय :- आप माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक का उपस्थापन..।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर नहीं आया है। मंत्री जी का उत्तर नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त हो गया।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :' प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। अब बहिर्गमन भी नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। मैं आपको बार-बार इशारा कर रहा था कि प्रश्नकाल समाप्त है करके।

श्री धरमलाल कौशिक :- आधे घंटे की चर्चा इसमें स्वीकार कर लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- देखेंगे। उपस्थापन साढ़े 12 बजे किया जायेगा।

श्री शिवकुमार डहरिया :- प्रश्नकाल समाप्त हो गया।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही मध्यान्ह 12.00 बजे तक के लिए स्थगित।

(12.00 बजे से 12.30 तक अंतराल)

समय :

12:30 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, उधर पेटी है इसलिए आप उधर देख रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय भूपेश बघेल जी । (मेजों की थपथपाहट)

समय :

12:30 बजे **वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक का उपस्थापन**

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय,

"गढ़बो नवा छत्तीसगढ़" के मूल मंत्र में समाहित भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए आज मैं सदन के समक्ष अपनी सरकार का तीसरी बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

2. अध्यक्ष महोदय, देश-दुनिया समेत छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए भी पिछला वर्ष बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु लागू लॉकडाउन के कारण राज्य में आर्थिक गतिविधियॉं प्रभावित रहीं, जिसके कारण राजस्व प्राप्तियों में कमी आयी । महामारी काल में आजीविका के साधनों की कमी के कारण आम जनता को राहत पहुंचाने हेतु कल्याणकारी योजनाओं में अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ी ।

3. हमारी सरकार ने इस दो-तरफा दबाव का दृढ़ता से सामना करते हुए जनता के हित में लगातार कार्य किया और मुझे यह कहते हुए संतोष है कि शासन-प्रशासन की सजगता एवं जनता के प्रयासों से राज्य पर इस आपदा का दुष्प्रभाव कम हुआ ।

4. मुझे यह कहते हुए गर्व है कि संकट के दौर में भी हमारी सरकार के संवेदनशील और सुसंगत प्रयासों के कारण महात्मा गांधी नरेगा योजना में रोजगार देने तथा मजदूरी भुगतान करने का कीर्तिमान बना । वनोपज खरीदी का राष्ट्रीय कीर्तिमान बना । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण के लिए किए गए नवाचारों तथा प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी एवं पुनर्वास के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली ।

5. हमने संक्रमण की रोकथाम तथा उपचार के लिए त्वरित निर्णय लिये । स्वास्थ्य विभाग के लिए 670 करोड़ के अतिरिक्त बजट की तत्काल व्यवस्था की गई। कोरोना संक्रमण की जांच हेतु 6 RT-PCR लैब और 18 TrueNAT लैब की तत्काल स्थापना की गई । मार्च, 2020 में शासकीय अस्पतालों में आई.सी.यू. बिस्तर क्षमता केवल 53 थी, जिसकी संख्या बढ़ाकर 406 बिस्तर हो चुकी है । कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु 30 कोविड समर्पित अस्पताल तथा 178 कोविड केयर सेन्टर स्थापित किये जाने से मरीजों के उपचार में तेजी आयी व प्रदेश की जनता का मनोबल बढ़ा ।

6. **सुराजी ग्राम योजना** के तहत स्थानीय संसाधनों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन का हमारा अभियान कोरोना संकटकाल के दौरान बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ । ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रारंभ की गई इस योजना के तहत कृषि, पंचायत एवं वन विभाग में उपलब्ध राशि के अभिसरण से स्वीकृत लाखों विकास कार्यों के कारण संकट के दौर में भी छत्तीसगढ़ में ग्रामीण रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई ।

7. हमने गोबर को गोधन बनाने की दिशा में सुविचारित कदम उठाते हुए **गोधन न्याय योजना** लागू की, (मेजों की थपथपाहट) जिसमें पशु पालकों से गोबर क्रय करके गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट एवं अन्य उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है । योजना के क्रियान्वयन से जैविक खेती एवं गौ पालन को बढ़ावा, पशु पालकों को आर्थिक लाभ तथा रोजगार के नये अवसरों का सृजन हो रहा है । हमारी इस पहल को भारत सरकार एवं अन्य राज्यों द्वारा भी सराहा गया है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

8. हमारे प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में विशिष्ट सृजनात्मक कलाओं की बहुलता है, जिसे रोजगार के अवसर में ढालने के लिऐ शहरी क्षेत्रों में पौनी-पसारी योजना शुरू की गयी थी, इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अब ग्रामीण क्षेत्रों में **रूरल इंडस्ट्रियल पार्क** की स्थापना की जायेगी, (मेजों की थपथपाहट) जहां परम्परागत व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन एवं विपणन की सुविधा प्रदान की जायेगी।

9. छत्तीसगढ़ के स्थानीय कृषि उत्पादों जैसे ढेकी का कूटा चावल, घानी से निकला खाद्य तेल, कोदो, कुटकी, मक्का से लेकर सभी तरह की दलहन फसलें विविध वनोपज जैसे इमली, महुआ, हर्रा, बहेरा, आंवला, शहद एवं फूलझाड़ू इत्यादि व वनोपज से निर्मित उत्पाद तथा टेराकोटा, बेलमेटल, बांसशिल्प, चर्मशिल्प, लौहशिल्प, कोसा शिल्क तथा छत्तीसगढ़ी व्यंजनों जैसी सभी सामग्रियों को एक ही छत के नीचे विपणन की सुविधा प्रदान की जायेगी। इसके लिए राज्य एवं राज्य के बाहर **सी-मार्ट स्टोर** की स्थापना की जायेगी, जो विशिष्ट छत्तीसगढ़ी ब्रांड के रूप में मशहूर होंगे। (मेजों की थपथपाहट) योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादकों को अधिक लाभांश दिलाने की व्यवस्था भी की जायेगी।

<u>आर्थिक स्थिति</u>

10. अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य की आर्थिक स्थिति का ब्यौरा सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं। राज्य के विगत वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर दर पर वर्ष 2019-20 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 5.32 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान किया गया था, किन्तु अद्यतन प्रस्तुत त्वरित अनुमान के अनुसार 5.12 प्रतिशत की वृद्धि संभावित है। राष्ट्रीय स्तर पर 4.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में राज्य की वृद्धि दर 1 प्रतिशत अधिक है।

11. वर्ष 2020-21 में स्थिर भाव पर राज्य में कृषि क्षेत्र में 4.61 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र में (-)5.28 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 0.75 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। इस प्रकार कृषि, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों में राज्य की अनुमानित वृद्धि दर, राष्ट्रीय स्तर पर इन क्षेत्रों में अनुमानित वृद्धि दर क्रमश: 3.4 प्रतिशत, (-)9.6 प्रतिशत एवं (-)8.8 प्रतिशत की तुलना में काफी संतोषजनक है।

12. प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2019-20 में 3 लाख 44 हजार 955 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 3 लाख 50 हजार 270 करोड़ होना अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.54 प्रतिशत अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर (-)7.7 प्रतिशत की कमी की तुलना में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में यह वृद्धि राज्य के आर्थिक विकास का सुखद संकेत है।

13. वर्ष 2019-20 में अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 05 हजार 59 रूपये की तुलना में वर्ष 2020-21 में 1 लाख 04 हजार 943 रूपये का अनुमान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में मात्र 0.14

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रतिशत कम है। इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों में 5.41 प्रतिशत की कमी अनुमानित की गयी है।

14. वर्ष 2021-22 के केन्द्रीय बजट में राज्य के लिये केन्द्रीय करों में हिस्से की राशि चालू वर्ष की तुलना में 4 हजार 128 करोड़ की कमी के साथ 22 हजार 675 करोड़ प्रावधानित की गयी है। चालू वर्ष के प्रारंभ की तुलना में अंतिम त्रैमास में राज्य की राजस्व प्राप्तियों में सुधार को देखते हुए, हमने राज्य के स्वयं के राजस्व को आगामी वर्ष के लिए इस वर्ष के स्तर पर अनुमानित किया है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी मंशा प्रदेश के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों (HEIGHT) पर ले जाने की है। अंग्रेजी के इस अक्षर HEIGHT शब्द के हर अक्षर में विकास की अवधारणा के भिन्न-भिन्न आयाम समाहित हैं।

H-Holistic Development (समग्र विकास)

HEIGHT का पहला एच, होलिस्टिक डेपलपमेंट यानी समग्र विकास का सूचक है। इस समग्र विकास का लाभ हमारे किसानों को, श्रमिकों को, वनवासी भाईयों को, माताओं और बच्चों को समान रूप से प्राप्त होता है। विकास की इस अवधारणा में बड़े नगरों का आधुनिकीकरण के साथ-साथ सुदूर दुर्गम क्षेत्र के गांवों में भी बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। विकास की इस प्रक्रिया में सुशासन की स्थापना के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं, साथ ही अपनी संस्कृति और परम्पराओं का संरक्षण कर उन्हें चिरंजीवी रखने के लिए भी पूर्ण प्रयास करते हैं।

किसानों को न्याय

15. **राजीव गांधी किसान न्याय योजना** में धान एवं अन्य फसलों को शामिल करके बोये गये रकबे के आधार पर किसानों को प्रोत्साहन राशि देकर हमने कास्त लागत को कम करने का प्रयास किया है। इससे कृषि क्षेत्र में निवेश एवं फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है। इस वर्ष 20 लाख 53 हजार किसानों से 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में सर्वाधिक है। (मेजों की थपथपाहट) इस वर्ष वन अधिकार मान्यताधारी 32 हजार 23 कृषकों से भी 10 लाख 70 हजार क्विंटल धान की खरीदी की गई है। **राजीव गांधी किसान न्याय योजना** हेतु वर्ष 2021-22 के बजट में 5 हजार 703 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। (मेजों की थपथपाहट)

16. बस्तर संभाग के 7 आदिवासी बाहुल्य जिले एवं मुंगेली जिले से चयनित कुल 14 विकासखण्डों में पोषण सुरक्षा तथा किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु **चिराग योजना** के लिए 2021-22 के बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

17. कृषक जीवन ज्योति योजना अन्तर्गत कृषि पम्पों को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु 2 हजार 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। (मेजों की थपथपाहट) योजना में लगभग साढ़े पांच लाख किसानों को लाभान्वित किया जायेगा।

18. कृषि पम्पों के उर्जीकरण के लिए डेढ़ सौ करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।

19. सौर सुजला योजना अन्तर्गत हमारी सरकार के गठन के पश्चात अब तक 31 हजार 712 सोलर पम्पों की स्थापना की जा चुकी है। वर्ष 2021-22 में इस योजना के लिए 530 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। (मेजों की थपथपाहट)

20. किसानों का शून्य ब्याज दर पर 5 हजार 900 करोड़ का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्याज अनुदान के भुगतान हेतु वर्ष 2021-22 में 275 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

21. **फसल बीमा योजना** में 606 करोड़, **कृषक समग्र विकास योजना** में 81 करोड़, कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना, कृषि यंत्रों पर अनुदान एवं नि:शुल्क वितरण हेतु 95 करोड़ का प्रावधान किया गया है। **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना** एवं **शाकम्बरी योजना** में 123 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

22. नगद आमदनी के कारण फल-फूल एवं सब्जियों की खेती के प्रति कृषकों की रूचि बढ़ रही है। इस वर्ष 5 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में बहुवर्षीय फलोद्यान, 4 हजार 500 हैक्टेयर में सब्जी उत्पादन तथा 13सौ हैक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती हेतु अनुदान देने का लक्ष्य रखा गया है। कुल उद्यानिकी फसलों के लिए 2021-22 में 495 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा गया है।

पशुपालकों को न्याय

23. गोठानों को रोजगारमुखी बनाने के लिए **गोधन न्याय योजना** प्रारंभ की गई है। गोठान समितियों द्वारा पशुपालकों से 2 रू. किलो की दर से गोबर क्रय हेतु 80 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। (मेजों की थपथपाहट)

24. स्व सहायता समूहों द्वारा गोबर से वर्मी कम्पोस्ट एवं अन्य उत्पाद तैयार किया जा रहा है। अब तक 71 हजार 300 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट तैयार किया जा चुका है।

25. वर्तमान में 7 हजार 841 स्व-सहायता समूह गोठान की गतिविधि संचालित कर रहे हैं। इन समूहों के लगभग 60 हजार सदस्यों को वर्मी खाद उत्पादन, सामुदायिक बाड़ी, गोबर दीया निर्माण विभिन्न इत्यादि गतिविधियों से 942 लाख की आय प्राप्त हो चुकी है।

26. गोठान योजना के लिए वर्ष 2021-22 के बजट में 175 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। (मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मछुआरों को न्याय

27. मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध जल क्षेत्रों में से 95 प्रतिशत क्षेत्र को विकसित करके 2 लाख से अधिक मछुआरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

28. स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण कर मत्स्य पालन की योजना राज्य में काफी लोकप्रिय है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नील क्रांति योजना एवं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत निजी तालाबों का निर्माण करवाया जा रहा है। वर्ष 2021-2022 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 79 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

29. मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु इसे कृषि के समान दर्जा दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी। वर्ष 2021-2022 के बजट में मत्स्य पालन की गतिविधियों के लिए 171 करोड़ 20 लाख का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

परंपरागत कर्मकारों को न्याय

30. परंपरागत ग्रामीण व्यवसायी कौशल के पुनरोद्धार एवं कर्मकारों को सहयोग प्रदान करने के लिए तेलघानी विकास बोर्ड, चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड, लौह शिल्पकार विकास बोर्ड एवं रजककार विकास बोर्ड की स्थापना की जायेगी।

31. कोसा उत्पादन एवं कोसा वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पहचान है। वर्तमान में कोसा उत्पादन एवं वस्त्र निर्माण के कार्यों में 50 हजार से अधिक हितग्राहियों को रोजगार से जोड़ा गया है। हाथकरघा वस्त्र बुनाई के माध्यम से 60 हजार परिवारों को रोजगार मिल रहा है।

32. लाख पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए ब्याज रहित ऋण की सुविधा प्राप्त करने के लिए लाख पालन को भी कृषि के समकक्ष दर्जा प्रदान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

श्रमिकों को सहायता

33. असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों से संबंधित आंकड़ों के ऑनलाईन संधारण तथा विभिन्न योजनाओं का त्वरित लाभ पहुंचाने की दृष्टि से विभिन्न एप्प निर्माण एवं राज्य स्तरीय हेल्प डेस्क सेंटर की स्थापना हेतु नवीन मद में प्रावधान रखा गया है।

34. असंगठित श्रमिकों, ठेका मजदूरों, सफाई कामगारों एवं घरेलू कामकाजी महिलाओं के कल्याण की योजना में 61 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

35. **राज्य बीमा अस्पताल योजना** में 56 करोड़ तथा कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों हेतु 48 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

36. राजीव किसान न्याय योजना का दायरा भूमिधारी कृषकों से आगे बढ़ाने के लिए **ग्रामीण कृषि भूमिहीन श्रमिकों** को सहायता हेतु **नवीन न्याय योजना** प्रारंभ की जायेगी। (मेजों की थपथपाहट)

वन आश्रितों को सहायता

37. पूर्व में निरस्त किए गए वन अधिकार मान्यता पत्रों की पुन: समीक्षा की जाकर 24 हजार 827 नये वन अधिकार पत्रों सहित अब तक 4 लाख 36 हजार 619 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का वितरण किया जा चुका है।

38. वन अधिकारपत्रधारी वनवासियों को भी किसानों के समान अधिकार देते हुए इस वर्ष किसान न्याय योजना का लाभ दिया गया है।

39. राज्य सरकार द्वारा विशेष पहल करते हुए पहली बार 2 हजार 175 सामुदायिक वन संधारण अधिकार ग्रामसभाओं को दिये गये हैं। सामुदायिक वन अधिकार पत्र के रूप में वितरित वन भूमि पर फलदार वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जायेगा।

40. राज्य में 52 प्रकार के लघु वनोपज का मूल्य निर्धारित कर संग्रहण किया जा रहा है। चालू सीजन के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 112 करोड़ की लागत के 4 लाख 74 हजार क्विंटल लघु वनोपज का संग्रहण किया गया है। ट्राईफेड नई दिल्ली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर **लघु वनोपज क्रय करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान** है। (मेजों की थपथपाहट)

41. राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में कोदो, कुटकी एवं रागी को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अन्य लघु वनोपज की भांति उपार्जित किया जायेगा।

42. 12 लाख 50 हजार तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को आकस्मिक मृत्यु अथवा दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने के लिए **"शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदू पत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना"** प्रारंभ की गई है। वर्ष 2021-2022 के बजट में इस हेतु 13 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है।

43. विशेष केंद्रीय सहायता पोषित स्थानीय विकास कार्यक्रमों हेतु 359 करोड़ तथा आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु 170 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। (मेजों की थपथपाहट)

पत्रकारों को सहायता

44. पत्रकारों की दुर्घटनाजन्य आकस्मिक मृत्यु के प्रकरणों में दी जाने वाली सहायता राशि को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जायेगा। (मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

महिलाओं और बच्चों को पोषण और सुरक्षा

45. मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत विगत 1 वर्ष में 99 हजार बच्चे कुपोषण से मुक्त किये जा चुके हैं। वजन त्यौहार आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में कुपोषण का स्तर 26.33 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2019 में 23.37 प्रतिशत हो चुका है।

46. लॉकडाउन के दौरान कुपोषित महिलाओं, शिशुवती महिलाओं एवं शाला त्यागी किशोरियों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के लगभग 24 लाख 38 हजार हितग्राहियों को भी घर-घर जाकर रेडी-टू-ईट फूड वितरित किया गया।

47. महिलाओं के पोषण में सुधार के लिए द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर राज्य द्वारा 5 हजार रूपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जायेगी। इसके लिए नवीन **कौशल्या मातृत्व योजना** प्रारंभ की जायेगी।(मेजों की थपथपाहट)

48. बच्चों की देखरेख सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी कार्यों के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना हेतु वर्ष 2021-22 के बजट में 47 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

49. **विशेष पोषण आहार योजना** में 732 करोड़, **आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण योजना** में 39 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों को सहायता

50. निराश्रितों एवं बुजुर्गों को मासिक पेंशन हेतु **सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना** में 343 करोड़, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 190 करोड़ एवं **मुख्यमंत्री पेंशन योजना** में 170 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

51. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना** में 70 करोड़ एवं **सुखद सहारा पेंशन योजना** में 98 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

52. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना** में 12 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

53. दिव्यांगजनों हेतु माना स्थित विभिन्न संस्थाओं के जर्जर भवनों के स्थान पर सर्वसुविधा युक्त एकीकृत नवीन भवन के निर्माण हेतु नवीन मद में 2 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

54. वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु हेल्प लाईन की स्थापना एवं उनके भरण-पोषण हेतु नवीन मद में 75 लाख का प्रावधान रखा गया है।

55. सभी पांच संभागीय मुख्यालयों पर आदर्श पुनर्वास केन्द्र की स्थापना हेतु नवीन मद में 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान रखा गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

56. मानसिक रोग से उपचारित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं प्रशिक्षण के लिए रायपुर एवं दुर्ग में **'हॉफ वे होम'** की स्थापना हेतु 3 करोड़ 13 लाख का प्रावधान किया गया है।

57. तृतीय लिंग के व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु आश्रम सह पुनर्वास केन्द्र स्थापित किया जायेगा। इसके लिए बजट में 76 लाख का प्रावधान रखा गया है। यह देश में अपनी तरह का पहला केन्द्र होगा।

शहरों का आधुनिकीकरण

58. नगरीय क्षेत्रों में सुशासन की स्थापना एवं आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था हेतु राज्य सरकार द्वारा कई अभिनव पहल की गई है।

59. विभिन्न शासकीय सेवाओं की घर पहुंच सेवा के लिए **मुख्यमंत्री मितान योजना** में 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

60. **मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना** के तहत 14 नगर निगमों में 60 मोबाईल एम्बुलेंस एवं दाई-दीदी क्लीनिक का संचालन किया जा रहा है। (मेजों की थपथपाहट) इसके माध्यम से नि:शुल्क परीक्षण, उपचार एवं दवाई वितरण की सुविधा दी जा रही है। वर्ष 2021-22 के बजट में भी 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। (मेजों की थपथपाहट)

61. यह गौरव का विषय है कि छत्तीसगढ़ को देश का स्वच्छतम राज्य होने का पुरस्कार लगातार दो वर्षों से प्राप्त हो रहा है। (मेजों की थपथपाहट) इस सफलता का श्रेय स्वच्छता दीदियों को समर्पित करते हुए उनके मानदेय को 5 हजार से बढ़ाकर 6 हजार रूपये किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

62. **एस.एल.आर.एम. सेन्टर्स** का उन्नयन करते हुए नगरीय निकायों में 377 गोधन न्याय सह गोबर क्रय केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। इससे आजीविका के अन्य साधन भी उपलब्ध हो सकेंगे।

63. शहरी गरीबों को काबिज भूमि का पट्टा देने का निर्णय लिया गया है, इस निर्णय से उनके मकान निर्माण का मार्ग सुगम हुआ है। (मेजों की थपथपाहट)

64. शहरी निर्धन परिवारों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने हेतु **"मोर जमीन- मोर मकान"** तथा **"मोर मकान-मोर चिन्हारी"** योजनाओं में किये गये कार्यों को भारत सरकार द्वारा जनवरी 2021 में पुरस्कृत किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) **सबके लिए आवास योजना** के तहत 2021-22 में 457 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

65. अमृत योजना में शामिल 9 शहरों में दिसंबर 2018 तक स्वच्छ पेयजल हेतु 23 हजार 876 नल कनेक्शन दिये गये थे। यह संख्या अब बढ़कर डेढ़ लाख हो चुकी है। **अमृत मिशन योजना** के लिए इस वर्ष 220 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

66. नगरीय क्षेत्र में अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए 482 करोड़ तथा **जल आवर्धन योजनाओं** के लिए 120 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। (मेजों की थपथपाहट)

67. बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित 17 नवीन ग्रामों में जल प्रदाय व्यवस्था हेतु बजट में प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

ग्राम विकास : आजीविका एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता

68. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के तहत लॉकडाउन के दौरान सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए मई एवं जून 2020 में प्रतिदिन औसतन 24 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इस वर्ष 2 हजार 590 करोड़ की मजदूरी का भुगतान किया गया। 12 करोड़ 21 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन करके ग्रामीणों को आजीविका प्रदाय किया गया। इस योजना हेतु वर्ष 2021-22 के बजट में 16 सौ 03 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। (मेजों की थपथपाहट)

69. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 20 लाख से अधिक गरीब परिवार की महिलाओं को सवा लाख से अधिक स्व सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका की गतिविधियों से जोड़ा गया है। योजना हेतु वर्ष 2021-22 में 4 सौ करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

70. उद्यमिता एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सभी निर्माण विभागों में स्नातक बेरोजगारों को "ई-श्रेणी" में पंजीयन की सुविधा दी गई है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण आवेदकों को भी ई श्रेणी में पंजीयन हेतु पात्रता दी गई है।(मेजों की थपथपाहट)

71. रूर्बन मिशन योजना में 16 जिलों के 18 क्लस्टर के 118 ग्राम पंचायतों में शहरी सुविधायें उपलब्ध कराते हुए सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु गतिविधियां प्रारंभ की गयी है। भारत सरकार से जारी रूर्बन रैकिंग के अनुसार **छत्तीसगढ़ राज्य राज्य प्रथम** स्थान पर है।(मेजों की थपथपाहट)

72. राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी के अंतर्गत 1 हजार 385 नालों पर 71 हजार 831 कार्य पंचायत विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये थे। इनमें से 51 हजार 742 कार्य पूर्ण भी हो चुके हैं। 9 हजार 133 गोठान स्वीकृत किये गये थे, जिनमें से 5 हजार 14 गोठानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। 4 हजार 908 चारागाह निर्माण स्वीकृत किये गये थे, जिनमें से 2 हजार 904 चारागाह पूर्ण हो चुके हैं। (मेजों की थपथपाहट)

73. कैम्पा मद से वन क्षेत्र में स्थित 1 हजार 796 नालों का चयन कर 7 लाख हेक्टेयर जल ग्रहण क्षेत्र में विभिन्न कार्य वर्ष 2020-21 में स्वीकृत किये गये हैं। 2021-22 में भी 392 करोड़ की लागत से 441 नालों का चयन कर जल संरक्षण कार्य किया जायेगा।

74. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रारंभ से अब तक 10 लाख 97 हजार स्वीकृत आवासों में से 70 प्रतिशत आवास निर्माण पूर्ण हो चुके हैं। योजना के क्रियान्वयन,कार्य निष्पादन एवं मूल्यांकन की राष्ट्रीय सूचकांक तालिका में छत्तीसगढ़ राज्य द्वितीय स्थान पर है। इस योजना हेतु वर्ष 2021-22 के बजट में 15 सौ करोड़ का प्रावधान किया गया है।(मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

75. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के द्वितीय चरण में 1282 ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं सामुदायिक शौचालय बनाने का कार्य किया गया है। गोबर धन योजना के अंतर्गत 199 बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की गई है। योजना हेतु इस वर्ष 4 सौ करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।

76. ओडीएफ प्लस पंचायतों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है । स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिये राज्य को 68 करोड़ 42 लाख का परफार्मेंस ग्रांट प्राप्त हुआ है ।

77. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 34 हजार 835 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कर 10 हजार 316 बसाहटों को जोड़ा जा चुका है । आगामी तीन वर्षों के लिए राज्य को 5 हजार 612 किलोमीटर की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है । योजना हेतु इस वर्ष 2 हजार 67 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है ।

78. किसानों को खेतों तक आवागमन की सुविधा देने के लिए कच्चे धरसा को पक्के मार्ग में बदलने के लिए **मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना** प्रारंभ की जा रही है । इसके लिए बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

आधुनिक प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन

79. राज्य के नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नई सुसंगत प्रणालियों तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाया जा रहा है ।

80. सामान्य सेवा केंद्रों द्वारा शासकीय सेवाओं के अतिरिक्त टेलीमेडिसिन, टेली किसान, बैंक मित्र, टैली-लॉ, ग्रामीण ई-स्टोर, ई-स्टाम्प रजिस्ट्रेशन, रंगीन मतदाता परिचय पत्र, आधार पंजीयन, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, पेंशनधारियों का आधार सीडिंग जैसी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं ।

81. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के विस्तार के लिये 235 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है ।

82. खनिजों का अवैध उत्खनन रोकने के लिए आधुनिक स्पेस टेक्नॉलॉजी एवं रिमोट सेंसिंग इमेज के माध्यम से माइनिंग सर्विलांस सिस्टम लागू किया गया है ।

छत्तीसगढ़ी कला, संस्कृति एवं पर्यटन का विकास

83. राज्य की पुरातात्विक धरोहरों के अध्ययन, खोज एवं संधारण कार्यों को गति देने के लिये पुरातत्व विभाग के पृथक संचालनालय का गठन किया जाएगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

84. छत्तीसगढ़ से संबंधित अभिलेखों के संधारण एवं प्रदर्शन हेतु अभिलेखागार भवन निर्माण के साथ-साथ डिजिटाईजेशन एवं मोबाईल एप्प का विकास किया जाएगा । इन सभी कार्यों के लिए 2021-22 के बजट में 6 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

85. राज्य में विभिन्न कलाओं तथा विधाओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया गया है ।

86. नवा रायपुर में भारत भवन, भोपाल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिक्षेत्र का निर्माण किया जाएगा । (मेजों की थपथपाहट)

87. मानव विकास का क्रम, रहन-सहन, तीज-त्यौहार, प्राचीन कला, परंपरागत विधाओं के प्रदर्शन हेतु मानव संग्रहालय के निर्माण हेतु 01 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

88. छत्तीसगढ़ी लोक कला एवं नृत्यों के संरक्षण तथा संवर्धन हेतु लघु फिल्म, डॉक्यूमेंट्री तथा अन्य कार्यों हेतु 2021-22 में 2 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

89. जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु **"छायांकित अभिलेखीकरण श्रृंखला"** के अंतर्गत कमार, अबूझमाड़िया, बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, भुंजिया एवं पण्डो जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों सहित कुल 35 जनजातियों की जीवनशैली पर आधारित फोटो हैण्डबुक्स का प्रकाशन किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

90. जनजातीय संस्कृति में आस्था के प्रतीक देवगुड़ी स्थल के निर्माण और संरक्षण के लिये 5 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा । अबूझमाड़िया जनजाति समुदाय में प्रचलित घोटुल प्रथा को संरक्षित रखने के लिए विशेष प्रयास किया जायेगा ।

91. शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं संग्रहालय के निर्माण हेतु 2021-22 में 5 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान रखा गया है । (मेजों की थपथपाहट)

92. नवनिर्मित आदिवासी संग्रहालय की गैलरी में जनजातीय संस्कृति के प्रदर्शन की व्यवस्था हेतु 01 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।

93. आदिवासी जन-जीवन एवं ग्रामीण संस्कृति के प्रति विदेशी पर्यटकों तथा अन्य लोगों की भी रूचि को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में **होम-स्टे** को बढ़ावा दिया जा रहा है।

94. **श्रीराम वन गमन पर्यटन परिपथ** के प्रति आम जनता की श्रद्धा एवं लोकप्रियता को देखते हुए योजना अंतर्गत चिन्हित कार्यों को गति प्रदान करने हेतु वर्ष 2021-22 में 30 करोड़ का प्रावधान रखा गया है । (मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

95. पर्यटन के नवीन क्षेत्र में नई संभावना के तौर पर हसदेव बांगो जलाशय सतरेंगा, जिला कोरबा में विश्व स्तरीय साहसिक जल क्रीड़ा गतिविधियों का संचालन प्रारंभ करने की योजना है । भविष्य में इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है ।

प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं विकास

96. प्राकृतिक वन सम्पदा हमारे राज्य की अनमोल धरोहर है । वन सम्पदा के दोहन के साथ-साथ वन क्षेत्रों के विस्तार एवं गुणात्मक सुधार हेतु भी निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं ।

97. 36 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बिगड़े वनों के सुधार कार्य हेतु 2021-22 में 257 करोड़ का प्रावधान रखा गया है । नदियों के संरक्षण हेतु नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 15 लाख पौधों के रोपण हेतु 7 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।

98. बेमेतरा जिले के परसदा एवं गिधवा ग्राम के आसपास स्थित विभिन्न जलाशयों एवं वेट लैंड में बड़ी संख्या में स्थानीय एवं प्रवासी पक्षी प्रतिवर्ष आते हैं । राज्य में प्रथम बार इनके संरक्षण एवं संवर्धन हेतु ठोस कार्यवाही करते हुए इस क्षेत्र को उत्कृष्ट इको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा ।

E-Education (शिक्षा सबके लिए समान अवसर)

राज्य के हर वर्ग, जाति एवं समुदाय के बच्चों एवं युवाओं को उत्कृष्ट संस्थानों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर दिलाने के लिए हम निरन्तर प्रयत्नशील हैं ।

99. सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए **स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम** स्कूल की योजना शुरू की गई है । प्रदेश में 52 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का संचालन प्रारंभ हो चुका है । 119 नये अंग्रेजी माध्यम स्कूल 2021-22 के बजट में प्रस्तावित किये गये हैं (मेजो की थपथपाहट) ।

100. नवा रायपुर में स्ववित्तीय मॉडल पर सर्वसुविधायुक्त राष्ट्रीय स्तर के बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की जाएगी । इस स्कूल में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी (मेजो की थपथ्पाहट) ।

101. कांकेर जिले में बी.एड. कॉलेज की स्थापना हेतु नवीन मद में एक करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

102. **पढ़ना-लिखना अभियान** योजना के लिए नवीन मद में 5 करोड़ 85 लाख का प्रावधान रखा गया है ।

103. ग्राम नागपुर जिला कोरिया, ग्राम सन्ना जिला जशपुर, ग्राम बांकेमोकरा जिला कोरबा, ग्राम नवागांव नवा रायपुर, रिसाली जिला दुर्ग, सारागांव जिला जांजगीर-चांपा, पेंड्रावन जिला दुर्ग में नवीन महाविद्यालय तथा सूरजपुर, बलरामपुर एवं गोबरा नवापारा जिला रायपुर नवीन कन्या महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी ।

104. 15 महाविद्यालयों में स्नातक स्तर तथा 15 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर के नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाएंगे ।

105. नारायणपुर, कोंडागांव, महासमुंद, कोरबा, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर में एक-एक बालक एवं कन्या छात्रावास की स्थापना के लिए नवीन मद में 2 करोड़ 80 लाख का प्रावधान रखा गया है ।

106. बलरामपुर में पिछड़ा वर्ग के लिए एक-एक नवीन प्री-मेट्रिक बालक एवं कन्या छात्रावास तथा पाटन जिला दुर्ग में एक प्री-मेट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास स्थापित किया जाएगा।

107. अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के संचालन हेतु 371 करोड़ एवं **विवेकानंद गुरूकुल उन्नयन योजना** अंतर्गत निर्माण कार्यों के लिए 281 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।

108. निकुम जिला दुर्ग, भाठागांव जिला रायपुर, वटगन जिला बलौदाबाजार, आमदी जिला धमतरी, चिरको जिला महासमुंद तथा नरहरपुर जिला कांकेर स्थित शासकीय महाविद्यालयों के लिए नवीन भवन का निर्माण किया जाएगा ।

109. ग्राम टेकारी विकासखंड आरंग तथा ग्राम नेवरा विकासखंड तखतपुर में नवीन आई.टी.आई. की स्थापना की जाएगी ।

110. छत्तीसगढ़ रीजनल सांइस सेंटर परिसर में इनोवेशन हब की स्थापना हेतु 1 करोड़ 80 लाख तथा 40 पॉलिटेक्निक संस्थाओं में फर्नीचर मशीन तथा उपकरण के लिए 20 करोड़, 55 लाख का प्रावधान रखा गया है ।

I-Infrastructure (अधोसंरचना-विकास के पोषक)

विकसित अधोसंरचना से सभी क्षेत्रों में पूंजी निवेश, रोजगार के अवसर और कर संग्रहण में वृद्धि एवं समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है तथा जनसुविधाओं का विस्तार होता है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सड़क मार्ग

111. अध्यक्ष महोदय, सड़कों को अर्थव्यवस्था की धमनियां माना जाता है । राज्य में रेल मार्गों के सीमित उपलब्धता के कारण सड़कों के विकसित नेटवर्क की आवश्यकता को देखते हुए सड़क तथा पुल-पुलिया निर्माण को बजट में विशेष प्राथमिकता दी गई है ।

112. छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम द्वारा 5 हजार 225 करोड़ की लागत के 3 हजार 900 किलोमीटर लंबी सड़कों एवं पुल-पुलिया के निर्माण का कार्य किया जायेगा। इन कार्यों के लिये निगम को सहायता देने हेतु बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

113. **मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना** के अंतर्गत पहुंच विहीन शासकीय भवनों तथा कार्यालयों को पहुंच मार्ग से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष योजना अंतर्गत 255 करोड़ की लागत से 2 हजार 195 सड़क कार्य स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2021-22 के बजट में इस योजना के लिये 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

114. एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से फेज-3 परियोजना में 826 किलोमीटर लंबाई के 24 मार्गों का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं फेज-4 परियोजना के अंतर्गत 1 हजार 275 किलोमीटर लंबाई के 31 मार्गों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। ए.डी.बी. सहायता वाली इन परियोजनाओं के लिये बजट में 940 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

115. वाहन दुर्घटनाओं में होने वाली जान-माल की क्षति को कम करने के लिए दुर्घटनाजन्य क्षेत्रों एवं ब्लैक स्पॉट का चिन्हांकन कर सड़क सुरक्षा हेतु समस्त आवश्यक उपाय करने हेतु **सड़क सुरक्षा निर्माण योजना** प्रारंभ की जा रही है। इसके लिये बजट में आवश्यक प्रावधान किया गया है।

116. इस बजट में 12 नये रेलवे ओव्हर ब्रिज एवं अंडर ब्रिज तथा जवाहर सेतु योजना के अंतर्गत 151 नवीन मध्यम पुलों के निर्माण के लिये 102 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 6 राज्य मार्ग, 5 शहरी मार्ग, 20 मुख्य जिला मार्ग तथा 435 ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु 310 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नाबार्ड की ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि के अंतर्गत 119 ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु 92 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

117. नक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर आवागमन सुविधा देने हेतु स्वीकृत 312 कार्यों में से 18 कार्य पूर्ण तथा शेष कार्य प्रगतिरत है। आगामी चरण में 104 सड़क एवं 16 पुल निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। योजना के लिये बजट में 12 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वायु मार्ग

118. प्रदेश की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों में प्रदेश के भीतर तथा अन्य राज्यों से संपर्क सुविधाओं में वृद्धि हेतु विमानन सेवाओं का विशेष महत्व है जिसे देखते हुए मां दन्तेश्वरी एयरपोर्ट, जगदलपुर को 2 सीवीएफआर श्रेणी में लाइसेंस मिलने के उपरांत 21 सितंबर, 2020 से हैदराबाद एवं रायपुर के लिये यात्री सेवा आरंभ हो चुकी है। इस सुविधा से दुर्गम बस्तर क्षेत्र को त्वरित आवागमन सुविधा का लाभ मिल रहा है।

119. बिलासा देवी केंवट हवाई अड्डा, बिलासपुर (चकरभाठा) का भी 3 सीवीएफआर श्रेणी में उन्नयन किया जा चुका है तथा शीघ्र ही विमानन सेवा प्रारंभ हो जायेगी। (मेजों की थपथापहट)

120. अम्बिकापुर क्षेत्र को शीघ्र ही वायुमार्ग से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है तथा इस वर्ष के बजट में कोरिया जिले में हवाई पट्टी निर्माण का प्रावधान रखा गया है। (मेजों की थपथपाहट)

121. रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल को आधुनिक एयर कार्गो हब में परिवर्तित करने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

सिंचाई

122. राज्य में कृषि, पेयजल, निस्तारी एवं औद्योगिक प्रयोजनों हेतु जल की आपूर्ति तथा जल स्रोतों के संरक्षण व दोहन के लिये बहुस्तरीय प्रयास किये जा रहे हैं।

123. भू-जल संवर्धन के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन करने हेतु भू-जल सरंक्षण कोष का निर्माण किया जायेगा। भू-जल का उपयोग करने वाले उद्योगों तथा कच्चे माल के रूप में जल का उपयोग करने वाले उद्योगों से प्राप्त जलकर की राशि इस कोष में जमा की जायेगी।

124. सिंचाई की 4 वृहद परियोजनाओं अरपा-भैंसाझार, केलो जलाशय, राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन एवं सोंढूर जलाशय हेतु वर्ष 2021-22 के बजट में 203 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

125. एनीकट एवं व्यपवर्तन योजनाओं के निर्माण से उपलब्ध जल के उपयोग हेतु सूक्ष्म सिंचाई एवं सौर सूक्ष्म सिंचाई की 33 योजनाएं स्वीकृत हैं । वर्ष 2021-22 के बजट में 4 सूक्ष्म सिंचाई योजना, 5 सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना एवं 8 उद्वहन सिंचाई योजनाओं हेतु नवीन मद में प्रावधान किया गया है।

126. वृहद, मध्यम एवं लघु बांधों के पुनर्वास एवं सुधार कार्य हेतु वर्ष 2021-22 के बजट में 70 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।

127. अरिहन-खारंग लिंक, छपराटोला फीडर जलाशय, रेहर-ऐटम (झिंक) लिंक परियोजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम द्वारा किया जाएगा । इसके लिए निगम को 5 करोड़ की सहायता दी जाएगी।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

स्वच्छ पेयजल

128. राज्य के 45 लाख, 48 हजार ग्रामीण घरों को वर्ष 2023 तक नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

129. पेयजल हेतु घरों तक नल कनेक्शन सुविधा देने के लिए **जल जीवन मिशन योजना** में 850 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।

130. नलकूपों के अनुरक्षण हेतु 106 करोड़ तथा पाईप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना में 32 करोड़ एवं ग्रामों में पेयजल प्रदाय के लिए 70 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।

131. **मिनीमाता अमृतधारा नल योजना** में 11 करोड़ एवं गोठानों में नलकूप खनन हेतु 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।

उद्योग

132. नवीन फूडपार्क की स्थापना हेतु 110 विकासखण्डों में भूमि चिह्नांकन एवं 45 विकासखण्डों में भूमि का आधिपत्य उद्योग विभाग को प्राप्त हो चुका है । इस योजना हेतु बजट में 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।

133. पिछड़े क्षेत्रों में वनोजन, हर्बल तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति, 2019-24 में वनांचल उद्योग पैकेज का प्रावधान रखा गया है ।

134. कोर सेक्टर के उद्योगों को उनकी मांग के अनुसार प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए नई औद्योगिक नीति में बी-स्पोक पॉलिसी लागू की गई है ।

135. किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने के लिए धान एवं गन्ने पर आधारिक जैव इंधन/एथेनॉल उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज जारी किया गया है ।

136. राज्य में 350 करोड़ की लागत से पंडरी जिला रायपुर में 10 एकड़ भूमि पर पब्लिक-प्राईवेट पार्टनरशिप के आधार पर जैम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क की स्थापना की जा रही है ।

137. नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु 65 करोड़ तथा औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना उन्नयन कार्य हेतु 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।

ऊर्जा

138. विद्युतीकरण ग्रामों के शेष रह गए पारा-टोलों तक विद्युत लाईन पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मजरा-टोला विद्युतीकरण योजना में 45 करोड़ का प्रावधान है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

139. नदियों के तट पर स्थित खेतों को सिंचाई की सुविधा देने के लिए नदियों के किनारे-किनारे विद्युत लाईन का विस्तार किया जाएगा । (मेजों की थपथपाहट)

140. मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना अंतर्गत नवीन सबस्टेशन निर्माण, ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि तथा लाईन विस्तार के कार्यों के लिए 25 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।

141. औद्योगिक क्षेत्रों में सुपरवाईज़री कंट्रोल के लिए स्काडा योजना में 50 करोड़ का प्रावधान है ।

142. शहरी क्षेत्र के विद्युतीकरण कार्य के लिए मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना में 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।

कृषि संबंधी अधोसंरचना

143. बायो एथेनॉल उत्पादन के अनुसंधान कार्य हेतु ग्राम गोढ़ी जिला बेमेतरा में प्रदर्शनी संयंत्र की स्थापना की जाएगी । संयंत्र में जैव इंधन के उत्पादन के लिए अतिशेष धान अथवा मक्का इत्यादि कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाएगा ।

144. नवीन ऊर्जा शिक्षा उद्यान ग्राम पाटन जिला दुर्ग में स्थापित किया जाएगा । ऊर्जा शिक्षा उद्यान के माध्यम से कृषि कार्य एवं दैनिक जन-जीवन में विविध कार्यों में वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग करने के लिए ग्रामीण जनों को प्रोत्साहित किया जाएगा ।

145. किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का पुनर्गठन करके 725 नयी समितियों का गठन किया गया है । इस प्रकार प्रदेश में समितियों की संख्या 1 हजार 333 से बढ़कर 2 हजार 48 हो गयी है । (मेजों की थपथपाहट)

146. समितियों में धान उपार्जन सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए प्रत्येक समिति को 50 हजार रूपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी । इसके लिए 2021-22 के बजट में 3 करोड़ 63 लाख का प्रावधान रखा गया है ।

147. उपार्जित धान की सुरक्षा के लिए सहकारी समितियों में महात्मा गांधी नरेगा योजना से 7 हजार 556 चबूतरा का निर्माण किया गया है

G-Governance (प्रशासन-संवेदनशील एवं प्रभावी)

प्रशासन को संवेदनशील, सशक्त, जवाबदेह तथा प्रभावी बनाने हेतु क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के आधार पर बड़ी प्रशासनिक इकाइयों को विभाजित करके नई इकाइयों का गठन किया जा रहा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

राजस्व प्रशासन

148. इस वर्ष के बजट में 11 नवीन तहसील एवं 5 नये अनुविभागों का गठन किया जायेगा। नयी तहसीलों का गठन 1. सारागांव, 2. नांदघाट, 3. सुहेला, 4. सीपत, 5. बिहारपुर, 6. चांदो, 7. रघुनाथपुर, 8. सरिया, 9. छाल, 10. अजगरबहार, 11. बरपाली तथा अनुविभाग कार्यालयों का गठन 1. लोहांडीगुड़ा, 2. भैयाथान, 3. पाली, 4. मरवाही एवं 5. तोंकापाल में किया जायेगा।

149. पटवारियों को खसरा पांचशाला तथा बी-1 की कम्प्यूटराइज्ड प्रतिलिपियां प्रदान की जायेगी। इससे मौके पर अभिलेखों का मिलान एवं गिरदावरी कार्य में सुविधा होगी। इस हेतु नवीन मद में 3 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

150. पटवारियों को देय मासिक स्टेशनरी भत्ता में 250 रूपये की वृद्धि की जायेगी। इसके लिए बजट में 3 करोड़ 48 लाख का प्रावधान रखा गया है।

151. सभी तहसीलों में राजस्व निरीक्षक मण्डल स्तर पर नवीन वर्षामापी केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। इसके लिए बजट में 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान रखा गया है।

152. स्वामित्व योजनां अंतर्गत ग्रामीण आबादी क्षेत्र का ड्रोन आधारित सर्वे किया जाकर धारित भूमि का नक्शा तथा अधिकार अभिलेख रहवासियों को वितरित किया जायेगा।

सामान्य प्रशासन

153. उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शासकीय सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सिविल सेवा पदक एवं राज्य पुलिस सेवा पदक से पुरस्कृत करने की योजना शुरू की जायेगी। (मेजों की थपथपाहट)

पुलिस प्रशासन

154. बस्तर संभाग के सभी जिलों में **'बस्तर टाइगर्स'** विशेष बल का गठन किया जायेगा। बल में अंदरूनी ग्रामों के स्थानीय युवाओं को भर्ती में प्राथमिकता दी जायेगी।

155. युवाओं के अंदरूनी क्षेत्र एवं जंगल की जानकारी का लाभ नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस बल को प्राप्त हो सकेगा। इस हेतु वर्ष 2021-22 के बजट में 2 हजार 800 व्यक्तियों की भर्ती की जायेगी। इस पर 92 करोड़ का व्यय संभावित है। (मेजों की थपथपाहट)

156. राज्य पुलिस मुख्यालय में साइबर फोरसिक लैब की स्थापना हेतु 20 नवीन पद सृजित किये जायेंगे। इसके लिए 2021-22 के बजट में 1 करोड़ 33 लाख का नवीन मद में प्रावधान किया गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

157. शहरी जनसंख्या के दवाब को देखते हुए प्रभावी नागरिक सुरक्षा व्यवस्था हेतु रायपुर-पश्चिम एवं जांजगीर-चांपा में तथा नक्सल ऑपरेशन को गति प्रदान हेतु मानपुर जिला राजनांदगांव, बीजापुर (नक्सल ऑपरेशन) एवं भानुप्रतापपुर जिला कांकेर में कुल 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नवीन कार्यालय स्थापित किये जायेंगे।

158. गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में पुलिस जवानों के लिए आवासीय भवन निर्माण किया जायेगा।

159. राज्य में भवन विहीन पुलिस चौकियों के लिए 10 चौकी भवनों का निर्माण किया जायेगा।

160. कन्या छात्रावास एवं आश्रमों में निवासरत बालिकाओं की सुरक्षा के लिए महिला होमगार्ड के 22 सौ नवीन पद की स्वीकृति हेतु बजट में प्रावधान किया गया है।

161. उप जेल नारायणपुर एवं उप जेल बीजापुर का जिला जेल में उन्नयन तथा भाटापारा में उप जेल की स्थापना हेतु 48 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है।

162. राज्य के कुल 6 जेल में 50-50 बंदी क्षमता के 10 बैरकों का निर्माण किया जायेगा।

H-Health (स्वास्थ्य : स्वस्थ तन-सबसे बड़ा धन)

सार्वभौम स्वास्थ्य सेवाओं का वादा निभाते हुए प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन, आधुनिक सुविधाओं का विकास करने के साथ ही विभिन्न बसाहटों तक स्थास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने का प्रयास किया गया है।

163. रायपुर जिला अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था सी.डी.सी. के तकनीकी सहयोग से संचालित अत्याधुनिक **'हमर लैब'** में 90 तरह की जांच सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। भविष्य में इसमें 30 और जांच सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

164. 09 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में वायरोलॉजी लैब की स्थापना हेतु 63 नवीन पदों का सृजन एवं 01 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान रखा गया है।

165. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामानुजगंज का 100 बिस्तर अस्पताल में तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राखी (नवा रायपुर) का 50 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन किया जायेगा। इस हेतु अतिरिक्त पदों की स्वीकृति सहित नवीन मद में 01 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

166. ग्राम सन्ना, जिला जशपुर एवं शिवरीनारायण, जिला जांजगीर-चांपा में नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा भिलाई के रिसाली क्षेत्र में 30 बिस्तर अस्पताल की स्थापना हेतु 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान रखा गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

167. वनांचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में **मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना** के माध्यम से नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच, चिकित्सा सुविधा एवं दवाईयां वितरण की सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए वर्ष 2021-22 के बजट में 13 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

168. नवीन चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर, कोरबा एवं महासमुन्द के भवन निर्माण हेतु 300 करोड़ का प्रावधान वर्ष 2021-22 के बजट में रखा गया है।

169. 25 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु 17 करोड़ 50 लाख का प्रावधान रखा गया है।

170. चन्दूलाल चन्द्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, दुर्ग का शासकीयकरण किया जायेगा।

T-Transformation (बदलाव: शासन-जनता के लिये)

बदलाव के लिए मिले जनादेश का सम्मान करते हुए हमने प्रदेश की संस्कृति, परम्परा तथा लोक-आस्था से जुड़े विषयों पर संवेदनशील पहल करते हुए छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को पुनर्जीवित किया है। जनहित से जुड़ी व्यवस्था तथा कार्यप्रणालियों में सुधार करके हमने **"शासन-जनता के लिए"** की अभिकल्पना को साकार करने का प्रयास किया है।

171. विलुप्त हो रहे हरेली, तीजा-पोरा, गौरा-गौरी, मातर और गोवर्धन पूजा जैसे त्यौहारों के सार्वजनिक आयोजनों से इन त्यौहारों का गौरव पुनर्स्थापित किया गया है।

172. आचार्य नरेन्द्र देव वर्मा रचित गीत "अरपा पैरी के धार" को राजगीत का दर्जा देकर हमने हर छत्तीसगढ़िया के मन में छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति आस्था को सजीव रूप प्रदान किया है।

173. इसी तरह भक्त माता कर्मा जयंती, विश्व आदिवासी दिवस, छठ पूजा जैसे त्यौहारों पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करके हमने जनभावनाओं को सम्मानित किया है तथा समन्वय एवं सद्भाव की विरासत को आगे बढ़ाया है।

174. जन-समुदायों के शासकीय कार्यालयों तक चलकर आने की परम्परा में भी सुधार करते हुए हमने सभी क्षेत्रों में प्रशासन को जनता तक पहुंचने की व्यवस्था बनाई है।

175. अध्यक्ष महोदय, हम केवल शहर बनाने में नहीं बल्कि शहर बसाने में भी विश्वास रखते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी, नवा रायपुर को कांक्रीट के जंगल से बदलकर एक जीवंत आबाद शहर के रूप में बसाने के लिए हमारी सरकार बहुत तेजी से प्रयास कर रही है। नवा रायपुर की विविध योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2021-22 के बजट में 3 सौ 55 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

वर्ष 2020-21 का पुनरीक्षित एवं 2021-22 का बजट अनुमान

अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2020-21 का पुनरीक्षित एवं 2021-22 का बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

(1) वर्ष 2020-21 में राजस्व प्राप्ति के बजट अनुमान 96 हजार 91 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 90 हजार 621 करोड़ है। राजस्व प्राप्तियों में होने वाली कमी को देखते हुए विभिन्न विभागों से समीक्षा उपरांत व्यय का बजट अनुमान 95 हजार 650 करोड़ से कम करके पुनरीक्षित अनुमान 91 हजार 482 करोड़ प्रस्तावित किया गया है।

(2) वर्ष 2021-22 हेतु कुल राजस्व प्राप्तियां 79 हजार 325 करोड़ अनुमानित है। इसमें राज्य का राजस्व 35 हजार करोड़ एवं केन्द्र से प्राप्त होने वाली राशि 44 हजार 352 करोड़ है।

(3) वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित सकल व्यय 1 लाख 05 हजार 213 करोड़ का है। सकल व्यय से ऋणों की अदायगी एवं पुनर्प्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 97 हजार 106 करोड़ अनुमानित है। राजस्व व्यय 83 हजार 27 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 13 हजार 839 करोड़ है। वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 14 प्रतिशत है।

(4) प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए अनुसूचित जनजाति उपयोजना मद में 34 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति उपयोजना मद में 13 प्रतिशत का बजट प्रावधान किया गया है।

(5) वर्ष 2021-22 के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए 38 प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्र के लिए 39 प्रतिशत एवं सामान्य सेवा क्षेत्र के लिए 23 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

राजकोषीय स्थिति

अध्यक्ष महोदय, कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु मार्च 2020 में लागू किये गये लॉकडाउन के कारण केन्द्र एवं राज्य दोनों के राजस्व प्राप्तियों में कमी को देखते हुए राज्य के स्वयं के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में सक्रिय प्रयास किए गए हैं।

आबकारी विभाग द्वारा लगाये गये विशेष आबकारी शुल्क, अतिरिक्त आबकारी शुल्क एवं गोठान शुल्क से लगभग 600 करोड़ रूपये का अतिरिक्त राजस्व अपेक्षित है। जल संसाधन विभाग द्वारा जल कर की दरों में वृद्धि, राजस्व विभाग द्वारा पर्यावरण एवं अधोसंरचना उपकर की दरों में वृद्धि तथा परिवहन विभाग द्वारा नये चेक पोस्ट की स्थापना संबंधी प्रयासों से राज्य के राजस्व प्राप्तियों में सुधार अनुमानित है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

राज्य के आय-व्ययक को संतुलित रखने की दृष्टि से व्यय में मितव्ययिता के भी प्रयास किए गए हैं।

(1) राज्य का सकल वित्तीय घाटा 17 हजार 461 करोड़ रूपये अनुमानित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.56 प्रतिशत है।

(2) वर्ष 2021-2022 हेतु कुल प्राप्तियां 97 हजार 145 करोड़ के विरूद्ध शुद्ध व्यय 97 हजार 106 करोड़ अनुमानित है। इन वित्तीय संव्यवहारों के फलस्वरूप 39 करोड़ की बचत अनुमानित है।

(3) वर्ष 2021-2022 में 3 हजार 702 करोड़ का राजस्व घाटा अनुमानित है।

वर्ष 2021-2022 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान की मांगें इन दो पंक्तियों के साथ सदन के समक्ष प्रस्तुत हैं :-

रास्ते की अड़चनों से, हम कभी डरते नहीं।
बात हो जब न्याय की, पीछे कभी हटते नहीं।।

बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- मैं, आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिये दिनांक 2 एवं 3 मार्च, 2021 की तिथियां निर्धारित करता हूं।

आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्तावों की सूचना मंगलवार, दिनांक 2 मार्च, 2021 को मध्याह्न 12.00 बजे तक दी जा सकती है। कटौती प्रस्ताव के प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

<u>सदन को सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से सेन्ट्रल हॉल में की गई है। समस्त माननीय सदस्यगण, पत्रकारगण तथा शासन के वरिष्ठ अधिकारी आमंत्रित हैं।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 02 मार्च, 2021 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(अपराह्न 01 बजकर 32 मिनट पर विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 02 मार्च, 2021 (फाल्गुन 11, शक् संवत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

चन्द्र शेखर गंगराड़े

रायपुर (छत्तीसगढ़) **प्रमुख सचिव**

दिनांक 01 मार्च, 2021 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं